सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
अवैध खनन गतिविधियों पर बल देते हुए गौण खनिजों के खनन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक–3

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

अवैध खनन गतिविधियों पर बल देते हुए गौण खनिजों के खनन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक–3

विषय सूची

विवरण	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
कार्यपालिक सारांश		vi
अध्याय I		
परिचय		
खनिज संसाधनों का परिचय	1.1	1
खनिज संसाधनों के प्रशासन और प्रबंधन का ढांचा	1.2	2
खनिज साधन विभाग की भूमिका	1.3	3
संगठनात्मक संरचना	1.4	3
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.5	4
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	1.6	5
लेखापरीक्षा मापदंड	1.7	6
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति	1.8	6
अभिस्वीकृति	1.9	7
अध्याय II		
अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रणाली और नियंत्रण		
खनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए तंत्र	2.1	9
उत्खनन पट्टों के व्यापक डेटाबेस का संधारण	2.1.1	10
खान सीमा स्तंभों/सीमांकन का अभाव	2.1.2	11
बफर जोन बनाए रखना	2.1.3	12
उत्खनन पट्टों की मासिक विवरणी	2.1.4	13
गौण खनिजों का निजी/शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग	2.1.5	13
चेक पोस्ट की स्थापना और कार्यप्रणाली	2.1.6	15
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन नहीं करने वाले आवेदकों को भंडारण परमिट जारी करना	2.1.7	17

गौण खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर शास्ति आरोपित करना	2.1.8	17
खनन गतिविधियों का निरीक्षण/निगरानी	2.1.9	18
जिला टास्क फोर्स	2.1.10	19
केन्द्रीय उड़न दस्ता	2.1.11	20
गौण खनिजों के लिए अन्य नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन	2.2	21
जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली	2.2.1	21
गौण खनिजों के परिवहन के लिए ई–परमिट प्रणाली	2.2.2	21
शिकायत निवारण प्रणाली	2.3	22
अध्याय III		
अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए उन्नत तकनीकों का अपनाया जाना		
उन्नत तकनीकों का परिचय	3.1	23
गौण खनिज पट्टों के लिए खनन निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन न किया जाना	3.1.1	23
भौगोलिक सूचना प्रणाली (भौ.सू.प्र.) के अनुप्रयोग के आधार पर निष्कर्ष	3.1.2	24
ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए उत्खनन पट्टों का लेखापरीक्षा विश्लेषण	3.1.3	30
अध्याय IV		
रेत खनन में राजस्व के रिसाव पर नियंत्रण		
रेत खनन का प्रबंधन	4.1	37
रेत खनन	4.1.1	37
अवैध रूप से उत्खनित मुरूम की भारी मात्रा के परिवहन के लिए निकास अनुज्ञापत्र प्रदान करना	4.1.2	41
अध्याय V		
जिला खनिज संस्थान न्यास (जि.ख.सं.न्या.)		
जि.ख.सं.न्या. का परिचय	5.1	45
जि.ख.सं.न्या. के तहत निधि का संग्रहण, प्रबंधन और उपयोग	5.2	46

स्वीप/फ्लेक्सी जमा सुविधा का लाभ न लेने के कारण ब्याज की हानि	5.2.1	47
शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए न्यास निधि से व्यय	5.2.2	48
कार्यान्वयन एजेंसियों से अव्ययित निधियों की वसूली न करना	5.2.3	49
जि.ख.सं.न्या. निधि से कार्यों का निष्पादन	5.3	49
खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की पहचान	5.3.1	50
कार्यों को पूर्ण करने में विलंब	5.3.2	51
निगरानी और नियंत्रण	5.4	52
शासी परिषद/प्रबंधकारणी समिति की बैठकें	5.4.1	53
मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार करना	5.4.2	53
बजट, वार्षिक योजना और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना	5.4.3	54
तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना	5.4.4	55
जि.ख.सं.न्या. वेबसाइट पर वांछित जानकारी होस्ट करना/अपलोड करना	5.5	55

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	मात्रा के अनुमान के लिए सलाहकार द्वारा अपनाई गई विधि	57
2	अवैध खनन के विरूद्ध शास्ति का कम आरोपण दर्शाने वाला जिलावार विवरण	58
3	अवैध परिवहन के विरुद्ध शास्ति का कम आरोपण	58
4	पर्यावरण स्वीकृति के विरुद्ध रेत के परिवहन का विवरण	59
5	मुरूम के हटाने की परमिट अनुज्ञा का विवरण	59
6	न्यास निधि में उपलब्ध और जारी की गयी राशि का वर्षवार विवरण	60
7	बैंक खाते में स्वीप/ फ्लेक्सी जमा/ बहु विकल्प जमा सुविधा का लाभ न लेने के कारण ब्याज की हानि	62
8	सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए न्यास निधि से किया	62

	गया व्यय	
9	कार्यान्वयन एजेंसियों से अव्ययित निधियों की वसूली न होना	63
10	जि.ख.सं.न्या. द्वारा किए गए कार्यों का वर्षवार विवरण	64

प्राक्कथन

राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में वर्ष 2015–16 से 2020–21 की अवधि को शामिल करते हुए 'अवैध खनन पर बल देते हुए गौण खनिजों के खनन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यपालिक सारांश

कार्यपालिक सारांश

खनिज सीमित और गैर–नवीकरणीय हैं, और उनका दोहन दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों, दृष्टिकोणों और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य द्वारा निर्देशित होता है। खनिजों के लाभप्रद मांग ने हाल के दिनों में अवैध खनन, विशेषकर गौण खनिजों के उत्खनन को बढ़ावा दिया है।

स्थानीय लोगों पर खनन गतिविधियों के प्रभाव को देखते हुए, भारत सरकार ने जिला खनिज संस्थान न्यास (जि.ख.सं.न्या.) की स्थापना का प्रावधान किया, और तदनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ की सुरक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिलों में जि.ख.सं.न्या. की स्थापना की (दिसंबर 2015)।

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संपादित की गई थी कि क्या राज्य शासन ने अवैध खनन गतिविधियों को रोकने, पता लगाने और अंकुश लगाने तथा खनन से संबंधित गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया गया है, जैसा की जि.ख.सं.न्या. स्थापना से अपेक्षित था । लेखापरीक्षा के दौरान संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म और नौ जिलों में जिला खनि कार्यालयों के साथ जि.ख.सं.न्या. के कार्यालयों के 2015–16 से 2020–21 की अवधि के अभिलेखों की जांच की गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मौजूदा नियंत्रण उपायों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। उत्खनि पट्टों के विस्तृत डेटाबेस का अभाव था, और उत्खनन पट्टा क्षेत्र के सीमांकन को इंगित करने के लिए सीमा स्तंभ/सीमा चिह्न अनुपस्थित थे, जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों के बाहर उत्खनन गतिविधियों की पहचान नहीं हो पाई थी। खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए स्थापित जांच चौकियों की संख्या अपर्याप्त पाई गई जबकि स्थापित जांच चौकी तौलकांटे की सुविधा सुसज्जित नहीं थे। तीन जिलों में कोई चेक पोस्ट स्थापित नहीं किया गया था जबकि शेष छह जिलों में, 18 चेक पोस्ट बिना किसी तौलकांटे सुविधा के थे।

गौण खनिजों के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए विभाग ने ई–परमिट प्रणाली और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लागू नहीं की। छः जिलों में निरीक्षण अधिकारियों की कमी के कारण खानों के निरीक्षण में निर्धारित मानदण्डों के विरूद्ध 52 से 92 प्रतिशत तक की कमी थी। निजी/शासकीय निर्माण कार्यों में गौण खनिजों के उपयोग की निगरानी/सत्यापन, निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा था क्योंकि गौण खनिजों के उपार्जन एवं उपयोग पर तिमाही प्रतिवेदन संबंधित व्यक्ति/कम्पनी/फर्म आदि द्वारा जिला खनन प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किये जा रहे थे। पट्टाधारियों द्वारा उत्खन पट्टों की मासिक विवरणी प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ था। जिला टास्क फोर्स (जि.टा.फो.) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई तथा जि.टा.फो. की बैठकों से संबंधित अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया। विभाग अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के पंजीकृत 3,536 प्रकरणों के विरुद्ध लागू शास्ति आरोपित

करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.51 करोड़ की शास्ति कम आरोपित की गई।

गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी हुई और विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने और उन पर अंकुश लगाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (भौ.सू.प्र.) और ड्रोन सर्वेक्षण जैसी अन्य आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विचार नहीं किया। गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर चयनित 202 उत्खनि पट्टों का लेखापरीक्षा विश्लेषण करने से स्वीकृत पट्टों के अलावा अन्य क्षेत्रों में खनन गतिविधियों (15 मामलों में) और स्वीकृत पट्टे के निकटवर्ती क्षेत्र में फैले गड्ढों (आठ मामलों में) का पता चला। यह भी देखा गया कि पर्यावरण स्वीकृति (प.स्वी.) और उत्खनि योजनाओं की शर्तों के अनुसार पट्टा क्षेत्र के आसपास कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया था (40 मामलों में)। तकनीकी सलाहकार के माध्यम से ड्रोन सर्वेक्षण की सहायता से लेखापरीक्षा ने अनाधिकृत स्थलों पर मुरूम के अवैध उत्खनन तथा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर रेत एवं चूना पत्थर के अवैध उत्खनन का पता लगाया, जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 2.67 करोड़ के रायल्टी की हानि हुई।

रेत खनन की निगरानी में कमी पाई गई और विभाग रायल्टी के अपवंचन और पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के गैर–अनुपालन को रोकने में विफल रहा। लेखापरीक्षा ने खनन योजना के अनुसार खुदाई की जाने वाली कुल खनन योग्य मात्रा के विरूद्ध कम मात्रा रिपोर्ट करने, ट्रांजिट पासों में दर्शाई गई मात्रा के विरुद्ध रेत ढोने वाले वाहनों का ओव्हरलोडिंग, उत्खनि स्थलों पर पट्टेदारों द्वारा अभिलेखों का संधारण न करना, स्वीकृत पट्टा स्थलों से परे उत्खनन, रेत खनन के लिए पोक्लेन मशीनों का उपयोग, और पर्याप्त वृक्षारोपण न होने के उदाहरण पाया। विभाग ने मुरूम खुदाई के लिए प्रासंगिक कार्यों और स्थलों पर मुरूम की वास्तविक उपलब्धता की पुष्टि किए बिना, अवैध उत्खनन और अनुमत मात्रा से अधिक अधिक परिवहन की गुंजाईश छोड़ते हुई, 87.33 लाख घन मीटर मुरूम के परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञापत्र जारी किया, ।

जि.ख.सं.न्या. की स्थापना (दिसम्बर 2015) राज्य के सभी 27 जिलों में खनन या खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि, यह देखा गया कि जि.ख.सं.न्या. ने खनन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने में देरी की (17 महीने से 50 महीने तक की देरी) और राज्य में खनन प्रभावित व्यक्तियों की सूची तैयार करने में विफल रहे।

वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान, नौ नमूना जांच किए गए जि.ख.सं.न्या. में ₹ 1,918.84 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी और न्यास निधि का औसत उपयोग 63 प्रतिशत था। निधियों के कम उपयोग के परिणामस्वरूप निधियों का संचय हुआ और वांछित लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से देय लाभ प्राप्त नहीं हुए। जि.ख.सं.न्या. की निधियों को बचत बैंक खातों में रखा गया था और स्वीप/फ्लेक्सी जमा सुविधा का लाभ न लेने के परिणामस्वरूप ₹ 24.87 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। जि.ख.सं.न्या. नियमों में निर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता/अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर धन का उपयोग करने के लिए शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जि.ख.सं.न्या. ने ₹ 14.94 करोड़ की राशि का व्यय

किया। कार्यों के निष्पादन की कमजोर निगरानी के कारण अधूरे कार्यों पर ₹ 219.31 करोड़ की राशि कार्यान्वयन एजेंसियों/ठेकेदारों के पास अवरूद्ध थी। इसके अलावा, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में जारी की गई ₹ 8.00 करोड़ की शेष राशि संबंधित कार्यों के पूरा होने/रद्द होने के बावजूद वसूल नहीं की गई थी।

जि.ख.सं.न्या. की गतिविधियों की निगरानी अपर्याप्त थी, क्योंकि कोई भी जि.ख.सं.न्या. शासी परिषद/प्रबंधकारणी समिति की बैठकों के नियमित आयोजन और बजट, तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट की समय पर तैयारी सुनिश्चित नहीं कर सका। इसके अलावा, प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए न्यास निधि से योजनाबद्ध तरीके से व्यय नहीं किया गया था क्योंकि मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज और वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी।

अनुशंसाएं :

1. *जिला कार्यालयों को निर्धारित प्रारूप में उत्खनन पट्टों का डाटाबेस संधारित करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए।*
2. *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खनन योजना में दर्शाए गए सीमांकन को इंगित करने के लिए पट्टेदारों द्वारा सीमा चिन्हों के साथ सीमा स्तंभों का रखरखाव किया जा रहा है।*
3. *सरकार को मुंगेली, कवर्धा और बलौदाबाजार जिलों में निश्चित समय सीमा के भीतर पर्याप्त संख्या में चेक पोस्ट स्थापित करने चाहिए और खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग की जांच के लिए सभी चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे और कांटातौल की सुविधा स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।*
4. *विभाग को पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित कर निर्धारित मानदंडों के अनुसार निरीक्षण और निरीक्षण के उचित अभिलेखों के संधारण को सुनिश्चित करना चाहिए।*
5. *खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग को गौण खनिजों के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और ई–परमिट सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करने पर विचार करना चाहिए।*
6. *विभाग गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली अतिशीघ्र लागू करे।*
7. *विभाग को खनन निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन तक अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने के लिए भौ.सू.प्र./ड्रोन सर्वेक्षण की व्यवहार्यता और उपयोग की जांच करनी चाहिए।*
8. *शासन को सतत रेत खनन व्यवहारों को अपनाना चाहिए एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों तथा नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु रेत खनन गतिविधियों की नियमित निगरानी के लिए निर्देश जारी करना चाहिए।*
9. *रेत परिवहन के दौरान पिट पास/रायल्टी पेड पास का उपयोग नहीं करने के मामलों में शासन को शास्ति अधिरोपित करने पर विचार करना चाहिए।*

10. विभाग को अवैध मुरूम उत्खनन को रोकने के लिए मुरूम परिवहन के लिए निकास अनुज्ञापत्र जारी करने की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए।

11. प्रभावी नकदी प्रबंधन के लिए जि.ख.सं.न्य. निधि का विवेकपूर्वक लाभदायक तरीके से प्रबंधन किया जाना चाहिए।

12. शासन को जि.ख.सं.न्य. नियमों में निर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता/अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर न्यास निधि के सख्ती से उपयोग के लिए निर्देश जारी करना चाहिए।

13. शासन को समयबद्ध तरीके से खनन प्रभावित व्यक्तियों/समुदायों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए।

14. खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के सुनियोजित ढंग से विकास सुनिश्चित करने के लिये शासन को सर्वे कराकर मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज शीघ्रता से तैयार करना एवं निगरानी करना चाहिये।

15. शासन को जि.ख.सं.न्य. को बजट, वार्षिक योजना और वार्षिक और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने एवं परियोजनाओं/कार्यों आदि की पारदर्शिता और निगरानी के लिए संबंधित हितधारकों को प्रस्तुत करने निर्देश जारी करना चाहिए।

अध्याय I

परिचय

अध्याय I

परिचय

1.1 खनिज संसाधनों का परिचय

खनिजों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात मुख्य खनिज एवं गौण खनिज। गौण खनिज[1] का अर्थ है भवन निर्माण के पत्थर, बजरी, साधारण मिटटी, निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत के अलावा अन्य सामान्य रेत, एवं अन्य दूसरे खनिज जिसे केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गौण खनिज के रूप में घोषित करे। मुख्य खनिजों में गौण खनिजों को छोड़कर सभी खनिज शामिल हैं। छत्तीसगढ़ कोयला, लौह अयस्क और डोलोमाईट जैसे खनिजों का एक प्रमुख उत्पादक है एवं इसके पास बॉक्साईट, चूना पत्थर एवं क्वार्टजाइट के काफी भंडार हैं। राज्य में मुख्य खनिजों के भौगोलिक वितरण को **चित्र– 1** में दर्शाया गया है।

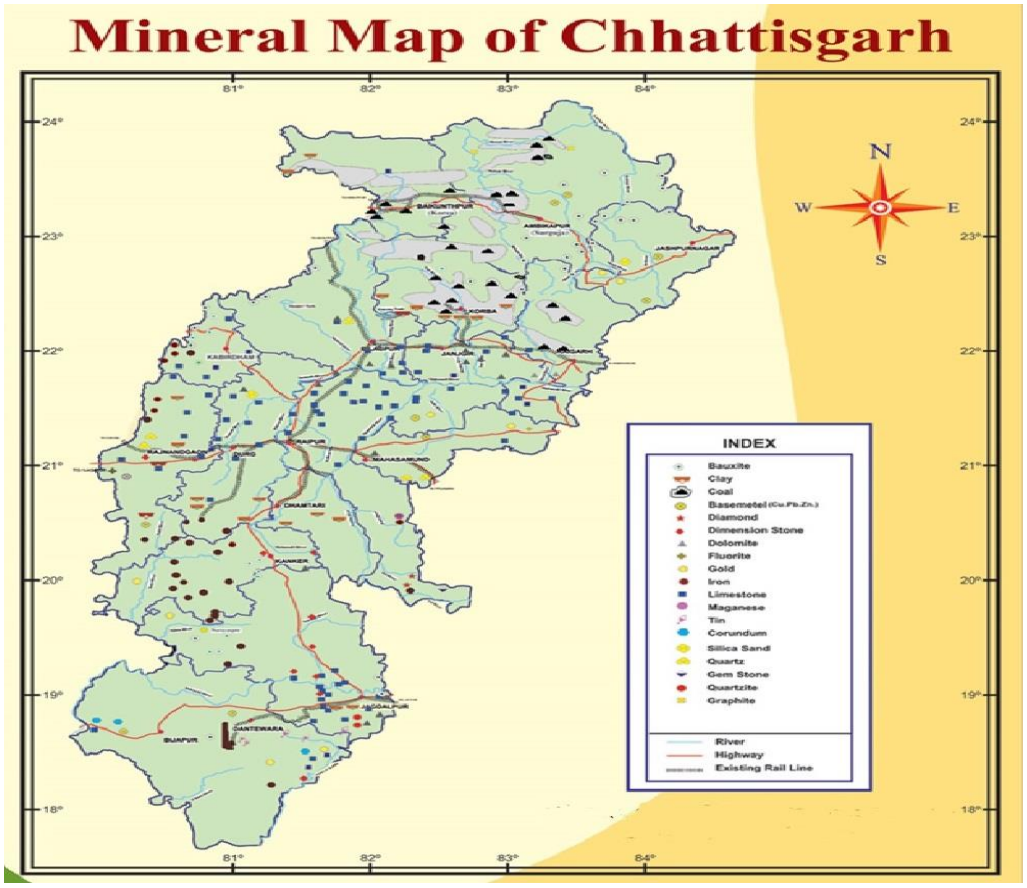

चित्र 1: राज्य में खनिजों का भौगोलिक वितरण विभाग के बेबसाईट से लिया गया है।

छत्तीसगढ राज्य में 37 प्रकार के गौण खनिज पाए जाते हैं। जबकि, निम्न श्रेणी चूना पत्थर, डोलोमाइट, साधारण मिट्टी, रेत, मुरूम आदि जैसे खनिज राज्य में प्रमुख गौण खनिज हैं। 01 अप्रैल 2021 तक राज्य में कुल 1,957 गौण खनिज उत्खनन पट्टे स्वीकृत किये गये थे।

1 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में परिभाषित।

खनिजों की प्रचुर मॉग, विशेष रूप से गौण खनिजों के तहत आने वाले निर्माण साम्रगी के उत्खनन से संबंधित गतिविधियों ने हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन को बढावा दिया है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के नए पंजीकृत मामलों की संख्या वर्ष 2015–16 के दौरान 3,756 से बढकर 2020–21[2] के दौरान 5,410 हो गए। आगे, खनिज का दोहन खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों/स्थानीय लोगों के विकास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया और जिला खनिज न्यास संस्थान (जि.ख.न्या.सं) की स्थापना के लिए प्रावधान किया।

1.2 खनिज संसाधनों के प्रशासन और प्रबंधन का ढांचा

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची (सूची I) और राज्य सूची (सूची II) के तहत सूचीबद्व वस्तुओं[3] के संदर्भ में खनिज संसाधनों का प्रबंधन भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 अधिनियमित किया है, जो खानों के नियमन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अलावा अन्य सभी खनिजों के विकास के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करता हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने परमाणु खनिजों और गौण खनिजों के अलावा सभी खनिजों के संबंध में परमिट लाइसेंस और पट्टे जारी करने को विनियमित करने के लिए खनिज रियायत (ख.रि.) नियम, 1960 एवं खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए खनिज संरक्षण और विकास (ख.सं.वि.) नियम 1988 भी बनाए हैं। जैसा कि खनिज रियायत नियम, 1960 में परिभाषित किया गया है, अवैध खनन का अर्थ किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप–धारा (I) के तहत आवश्यक खनिज रियायत के बिना कोई भी भूमीक्षण/ पूर्वेक्षण/खनन कार्य किया जाना है। आगे यह भी बताया गया है कि (अ) खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर अधिनियम की धारा 23 सी के तहत बनाए गए नियमों के अलावा खनन पट्टा धारक द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन अवैध खनन में शामिल नहीं होगा, (ब) भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत दिया गया कोई भी क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, अवैध खनन के विस्तार का निर्धारण करते समय लाइसेंस या पट्टे के ऐसे धारक द्वारा वैध अधिकार के साथ एक क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15, राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है और खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 सी राज्य सरकार को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। तदनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन और भंडारण) नियम 2009 और छत्तीसगढ गौण खनिज (सी.एम.एम) नियम, 1996 (2015 में संशोधित) तैयार किया है।

2015 में संशोधित एम.एम.डी.आर अधिनियम की धारा 9(बी) राज्य सरकार को खनन/खनन से संबंधित गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्र के लाभ के लिए खनन संचालन से प्रभावित प्रत्येक जिले में जिला खनिज न्यास संस्थान की स्थापना

---

[2] विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार।

[3] संघ सूची की प्रविष्टि 54 और राज्य सूची की प्रविष्टि 23 एवं 50।

करने को अधिकृत करता है। छत्तीगढ़ शासन (छ.शा.) ने अपनी अधिसूचना (22 दिसम्बर 2015) के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिलों में जि.ख.सं.न्या. की स्थापना की है।

1.3 खनिज साधन विभाग की भूमिका

खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (विभाग) अपने अधीनस्थ कार्यालयों, भौमिकी तथा खनिकर्म का संचालनालय (सं.भौ.ख.) एवं छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के माध्यम से राज्य में खनिजों के अन्वेषण, पूर्वेक्षण, आंकलन, खानों/खनिजों के विकास एवं विनियमन, खनिज रियायतों के प्रदाय/नवीनीकरण एवं का निर्धारण, किराये एवं रायल्टी का आकलन/संग्रहण एवं पट्टेदारों द्वारा नियमों एवं विनियमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। विभाग प्रत्येक खनन प्रभावित जिले में जि.ख.सं.न्या. के गठन के लिए भी जिम्मेदार है। जि.ख.सं.न्या. का उद्देश्य खनन या खनन से संबंधित गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए उस तरीके से कार्य करना है जैसा की सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो। अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए विभाग ने एक राज्यव्यापी ढांचा विकसित किया है, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शाया गया है।

1.4 संगढनात्मक संरचना

विभाग का संगढनात्मक संरचना[4] **चार्ट–1** में दिया गया है।

संगठनात्मक सेट–अपः चार्ट–1

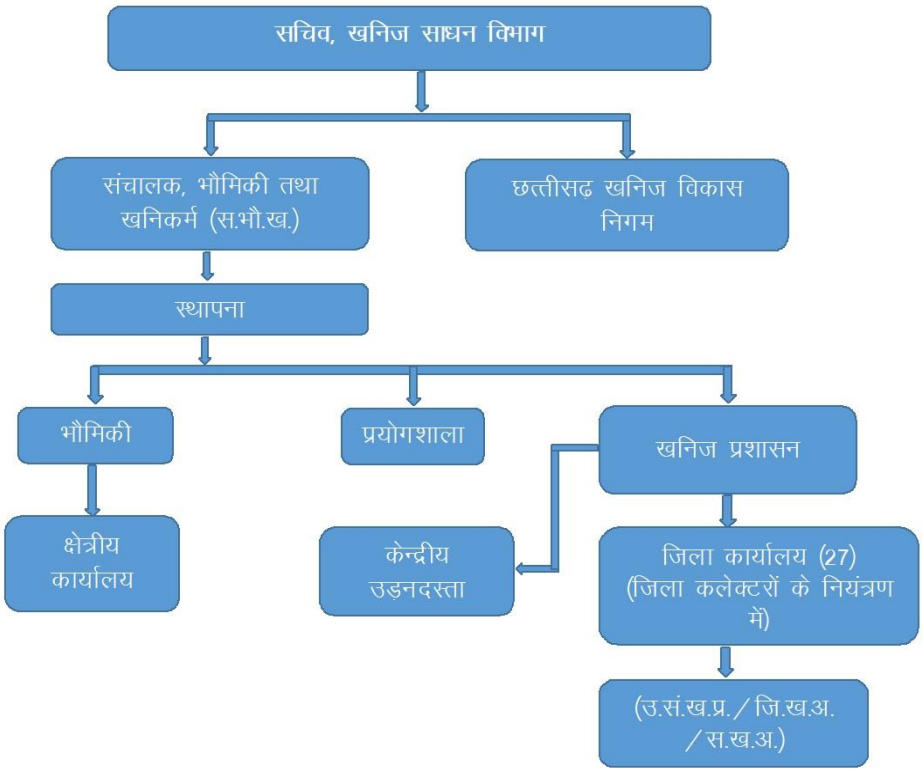

[4] 30 दिसम्बर 2020 की स्थिति में।

शासन स्तर पर सचिव, खनिज साधन विभाग एवं संचालनालय स्तर पर संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म संबंधित खनि अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन एवं क्रियान्यवन के लिए उत्तरदायी होते हैं। संचालनालय के अधीन तीन क्षेत्रीय कार्यालय (विभागीय रासायनिक प्रयोगशालाएँ सहित) बिलासपुर, जगदलपुर एवं रायपुर में, क्षेत्रीय प्रमुखों के अधीन हैं, जहॉ खनिजों का गुणवत्ता विश्लेषण किया जाता है।

प्रत्येक जिला मुख्यालय में संबंधित जिला कलेक्टर के नियंत्रण में खनि कार्यालय हैं। सत्ताईस उप संचालक, खनिज प्रशासन, (उ.स.ख.प्र.)/जिला खनि अधिकारी (जि.ख.अ)/सहायक खनि अधिकारी (स.ख.अ.) हैं जो राजस्व के आंकलन एवं संग्रहण के अलावा अपने नियंत्रण के क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन/खनन, परिवहन और अन्य गतिविधियॉ, जिससे राजस्व का अपवंचन हो सकता है, को रोकने के लिए उत्तरदायी हैं।

1.5 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मुख्य शीर्ष 0853–अलौह[5] खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग के अंतर्गत वर्ष 2015–16 से 2020–21 के दौरान राजस्व का बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियॉ और गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी **तालिका– 1.1** में दिया गया है।

तालिका–1.1: बजटीय एवं वास्तविक राजस्व प्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक राजस्व प्राप्तियॉ	अंतर	वृद्वि का प्रतिशत(+) /कमी (-)	गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी	वास्तविक राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत
2015-16	7000.00	3709.52	- 3290.48	- 47.00	243.07	6.55
2016-17	5500.00	4141.47	-1358.53	- 24.70	185.07	4.47
2017-18	5600.00	4911.44	-688.56	- 12.30	213.89	4.35
2018-19	6000.00	6110.24	110.24	1.837	300.88	4.92
2019-20	6500.00	6195.73	-304.27	- 4.68	199.32	3.22
2020-21	6,670.00	5538.49	-1131.51	- 16.96	296.44	5.35
Total	**37,270.00**	**30,606.89**	**-6663.11**	**- 17.88**	**1438.67**	**4.70**

(*स्त्रोत: छत्तीसगढ शासन के वित लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी*)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2015–16 में राजस्व में महत्वपूर्ण कमी थी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्धारित कोल ब्लॉक के आबंटन पर पट्टेदार से ₹ 295 प्रति मीट्रिक टन (एमटी) की दर से दंड की वसूली की प्रत्याशा में बजट अनुमान के प्रावधान के कारण थी। यह देखा जा सकता है कि खनन प्राप्तियाँ वर्ष 2015–16 में ₹ 3,709.52 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹ 6,195.73 करोड़ तथा वर्ष 2020–21 में घटकर ₹ 5,538.49 करोड़ हो गई। वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से कोविड–19 महामारी के कारण थी।

वर्ष 2015–16 से 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी ₹ 1,438.67 करोड़ थी जो, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 30,606.89 करोड़) का

[5] तांबा, निकेल, जस्ता, सोना और चांदी जैसे धातु।

4.70 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 से 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रमुख गौण खनिजों से संग्रहित रॉयल्टी का विवरण नीचे **तालिका–2** एवं **तालिका–3** में दर्शाया गया है:

चार्ट– 2: वर्ष 2015–16 के दौरान गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी
(₹ 243.07 करोड़)

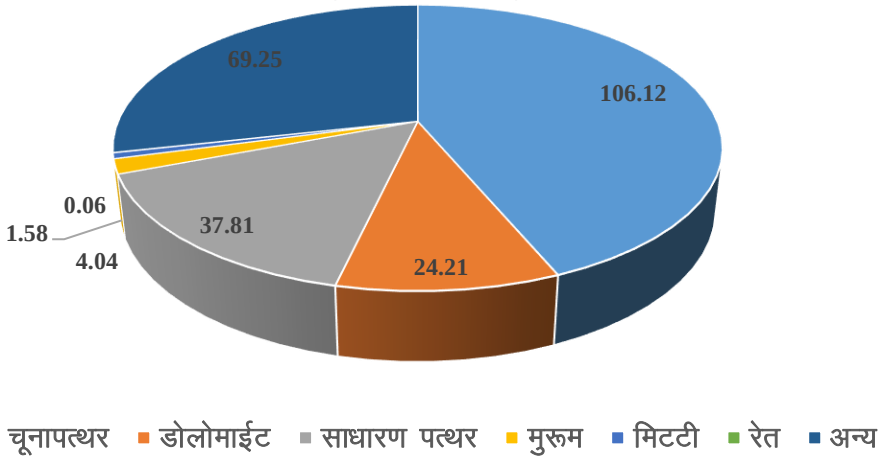

चार्ट– 3: वर्ष 2020–21 के दौरान गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी
(₹ 296.44 करोड़)

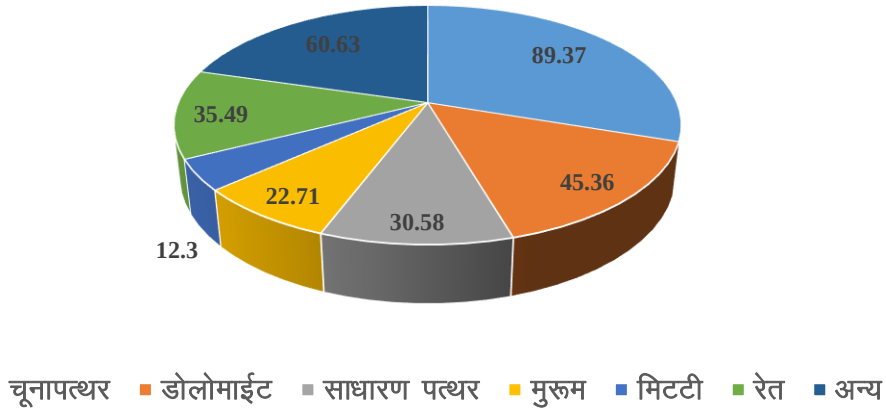

1.6 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखा परीक्षा यह आंकलन करने के लिए किया गया था कि:

- क्या विभाग ने गौण खनिजों के संबंध में अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और रोकथाम के लिए नियंत्रण एवं तंत्र विकसित किया है।
- क्या जिला खनिज न्यास संस्थानों (जि.ख.न्या.सं.) ने खनन प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों को अपेक्षित लाभ प्रदाय किया है।

1.7 लेखा परीक्षा मापदंड

निष्पादन लेखा परीक्षा (नि.ले.प.) ने निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों से लेखा परीक्षा मानदंड प्राप्त किए:

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2015 (खा.ख.वि.वि. अधिनियम);
- छत्तीसगढ गौण खनिज नियम, 2015 (छ.गौ.ख. नियम);
- छत्तीसगढ खनिज (खनन, परिवहन और भंडारण) नियम, 2009 (छ.ख.ख.प.भ.नि.);
- छत्तीसगढ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यापार) नियमावली, 2019 (छ.गौ.ख.सा.रे.नि.)
- पर्यावारण (संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं उसके अधीन बने नियम,
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम,1974,
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम,1981,
- जिला खनिज न्यास संस्थान नियम, 2015 (जि.ख.न्या.सं. नियम)
- भारत सरकार/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देश, परिपत्र आदि।

1.8 लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखा परीक्षा में वर्ष 2015–16 से 2020–21 की अवधि को शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा के लिए संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म (सं.भौ.ख.) के कार्यालय के अलावा, उप संचालक, खनिज प्रशासन (उ.सं.ख.प्र.)/जिला खनि अधिकारियों (जि.ख.अ.) के 27 कार्यालयों में से नौ[6] कार्यालयों के साथ जि.ख.न्या.सं. के कार्यालय प्रतिस्थापन के बिना स्तरीय यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर चुने गये। चयनित नौ उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. में गौण खनिजों के 955 उत्खनन पट्टों में से 206 के अभिलेख, उच्च घनत्व वाले खनन क्षेत्रों (अर्थात् रायपुर, बिलासपुर एवं जांजगीर–चांपा) में उत्खनन पट्टों का 15 प्रतिशत एवं अन्य जिलों में 25 प्रतिशत, निर्णयात्मक नमूनाकरण के आधार पर विस्तृत जांच के लिए चयन किए गए। चल रहे खनन गतिविधियों की निगरानी एवं नियमों के अनुपालन की समीक्षा के लिए 955[7] उत्खनन पट्टों में से 40 उत्खनन स्थलों का, निर्णयात्मक आधार पर चयनित कर, संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था। तथापि, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर एवं जांजगीर–चांपा जिलों के मामले में खनन अधिकारियों ने संयुक्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। उत्खनन पट्टों के अलावा, 102 रेत खदानों में से 34 का भी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रमाणित करने के लिए भौतिक सत्यापन किया गया।

जनवरी 2021 में आयोजित एक आगम सम्मेलन में सचिव, खनिज साधन विभाग के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। अक्टूबर 2021 में प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया था और जनवरी 2022 में आयोजित निर्गम सम्मेलन में सचिव के साथ प्रतिवेदन के

---

[6] अम्बिकापुर, बलौदाबाजार, बिलासुपर, दुर्ग, कांकेर, कवर्धा, जांजगीर–चांपा, मुंगेली और रायपुर।

[7] 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में।

निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। निर्गम सम्मेलन के दौरान और अन्य समय पर प्राप्त सरकार की प्रतिक्रियाओं को इस प्रतिवेदन के उपयुक्त पैराग्राफ में यथोचित रूप से शामिल किया गया है।

उत्खनन पट्टों की स्वीकृत सीमा के बाहर खनन गतिविधियों का मानचित्रण करने और अनुमोदित सीमा के बाहर अवैध रूप से उत्खनित खनिजों की मात्रा निर्धारित करने के लिए गौण खनिजों के चयनित उत्खनि स्थलों का ड्रोन सर्वेक्षण (अप्रैल/मई 2022) तकनीकी सलाहकार अर्थात राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.), रायपुर के माध्यम से **परिशिष्ट 1** में वर्णित कार्यप्रणाली के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा ने तकनीकी सलाहकार द्वारा अनुमानित मात्रा के आधार पर अवैध रूप से उत्खनित खनिजों के लिए राजस्व[8] की हानि की गणना की है। राज्य में खनन गतिविधियों की निगरानी के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्राप्त करने/प्रमाणित करने के लिए गूगल अर्थ प्रो एप्लिकेशन में खनन निर्देशांकों को प्लॉट करके एक विश्लेषण भी किया गया था। जून 2022 में ड्रोन सर्वेक्षण/जीआईएस विश्लेषण के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष सचिव, खनिज साधन विभाग को जारी किये गये थे और ड्रोन सर्वेक्षण के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2022)।

1.9 अभिस्वीकृति

हम लेखा परीक्षा को आवश्यक जानकारी और अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए खनिज साधन विभाग के सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं।

[8] छ.गौ.ख. नियम 2015 के तहत शासन द्वारा अधिसूचित रायल्टी शुल्क की दरों पर

अध्याय II

अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रणाली और नियंत्रण

अध्याय II

अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रणाली एवं नियंत्रण

सारांश

- स्वीकृत उत्खनन पट्टों का विस्तृत डाटाबेस विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं रखा गया था।
- भौतिक सत्यापन के दौरान जिन 40 उत्खनन पट्टा स्थलों का दौरा किया गया उनमें से 33 में खनन योजना में दर्शाए गए सीमांकन को इंगित करने वाले सीमा स्तंभ/चिन्ह नहीं पाए गए। इन उत्खनन पट्टों में से नौ उत्खनन पट्टों में पट्टा क्षेत्र के आस–पास बफर जोन अनुरक्षित नहीं था तथा 37 पट्टों में पट्टेदारों द्वारा वृक्षारोपण का कोई कार्य नहीं किया गया।
- निजी/शासकीय निर्माण कार्यों में प्रयुक्त हुए गौण खनिजों का निरीक्षण एवं सत्यापन निरीक्षण अधिकारियों द्वारा नियमानुसार नहीं किया जा रहा था। पट्टेधारियों द्वारा उत्खनन पट्टों की मासिक विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब था।
- चयनित नौ जिलों में से तीन जिलों में कोई जांच चौकी स्थापित नहीं की गई थी जबकि शेष छः जिलों में 18 जांच चौकियां बिना तौल कांटा के स्थापित थीं। दो जिलों में विभाग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र सुनिश्चित किये बिना ही छः भण्डारण अनुज्ञा पत्र जारी किये गये थे। वर्ष 2015–16 से 2020–21 (जून 2020 तक) के दौरान खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज 3,536 प्रकरणों में ₹ 10.51 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।
- छः जिलों में, निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध पट्टों का निरीक्षण करने में 52 से 92 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण कमी पाई गई। जिला टास्क फोर्स की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई तथा बैठकों के अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था।
- गौण खनिजों के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए विभाग ई–परमिट प्रणाली एवं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली को लागू करने में विफल रहा।

2.1 खनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए तंत्र

खनिजों के संरक्षण एवं शासन को अधिकतम राजस्व सुनिश्चित करने के लिए खनिजों का एक व्यवस्थित उत्खनन आवश्यक है। अतः उत्खनन पट्टा प्रदान करने, उत्खनन, खनिजों के परिवहन से लेकर पूरी तरह से उत्खनित खदान क्षेत्र को बंद/पुनरोद्धार, करने तथा अवैध खनन को रोकने एवं नियंत्रित करने तक खनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र अत्यंत आवश्यक है।

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 के धारा 15 और 23(ग) के तहत, राज्य सरकार गौण खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने और खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को रोकने के लिए नियम बना सकती है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अनुसूची एक तथा दो में

विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टा प्रदान करने, अधिकार प्रदान करने, प्रक्रिया, अवधि एवं उत्खनन पट्टों के सामान्य शर्तों के प्रावधान शामिल हैं। छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम, 2009 में विधि सम्मत परमिट के बिना खनिजों के भण्डारण एवं परिवहन को रोकने की व्यवस्था निर्धारित है। विभाग द्वारा स्थापित खनन गतिविधियों के लिए इन नियमों के अनुपालन एवं निगरानी तंत्र की जांच लेखापरीक्षा के दौरान की गई थी जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.1.1 उत्खनन पट्टों के व्यापक डेटाबेस का संधारण

छ.गौ.ख. नियम 2015 के नियम 23–क के तहत राज्य शासन[1]/संचालक[2]/जिले[3] के कलेक्टर द्वारा इलेक्ट्रानिक नीलामी[4]/निविदा[5] की प्रक्रिया के माध्यम से उत्खनन पट्टे जारी किये गये। छ.गौ.ख. नियम के नियम 41 के अनुसार खनन अधिकारी/सहायक खनन अधिकारी द्वारा फॉर्म–XII में उत्खनन पट्टों का रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें पट्टा प्रदान करने की तिथि, प्रदान किए गए पट्टे की अवस्थिति एवं सीमा, उत्खनन योजना के अनुमोदन का दिनांक एवं अवधि, पर्यावरण प्रभाव आकलन (प. प्र. आ.) के अनुमति का दिनांक तथा अवधि, नवीकरण, वास्तविक समाप्ति/त्यागने के दिनांक आदि से संबंधित जानकारी शामिल होंगे। स्वीकृत पटटों को वर्तमान, समाप्त, व्यपगत निर्धारित पट्टों के रूप में चिन्हित करने के लिए सभी उत्खनन पट्टों, वर्तमान में कार्यरत है या अन्यथा का एक परिशुद्ध सूची आवश्यक है।

पट्टों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है–

- **वर्तमान पट्टे**– जिनकी स्वीकृत अवधि वैध है और या तो कार्यशील हों या निष्क्रिय हों ।
- **समाप्त हो चुके पट्टे**– जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है और जिनके नवीनीकरण के आवेदन लंबित हैं। नवीनीकरण आवेदनों को अंतिम रूप देने पर ऐसे पट्टे वर्तमान बन जाते हैं।
- **व्यपगत पट्टे**– जहां खनन कार्य एक वर्ष की अवधि के भीतर शुरू नहीं किया गया था अथवा छहः महीने की संचयी अवधि से बंद हो।
- **निर्धारित पट्टे**– जिन्हें पट्टे की शर्तों के उल्लंघन और अन्य पर्यावरणीय कारकों के कारण रद्द कर दिया गया है।

वर्ष 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान चयनित नौ जिलों में ई–टेंडर/आवेदन के आधार पर 132 उत्खनन पट्टे स्वीकृत किये गये। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2021 तक राज्य में गौण खनिजों के कुल 1,957 उत्खनन पट्टे स्वीकृत किए गए थे।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि उत्खनन पट्टों का एक व्यापक वर्गीकृत डेटाबेस जिसमें पट्टे की समाप्ति की तिथि, दाखिल नवीनीकरण आवेदन का विवरण, पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति, अवस्थिति और सीमा विवरण यानी भू–निर्देशांक आदि शामिल हैं, को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं रखा गया था। केवल वर्तमान उत्खनन पट्टों की

[1] अनुसूची एक के भाग क और भाग ख में निर्दिष्ट खनिज

[2] अनुसूची एक के भाग ग और अनुसूची दो के भाग क में निर्दिष्ट खनिज, जहां लागू क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक है।

[3] अनुसूची एक के भाग ग और अनुसूची दो के भाग क में निर्दिष्ट खनिज, जहां लागू क्षेत्र 10 हेक्टेयर तक है।

[4] अनुसूची एक के भाग क और भाग ख में निर्दिष्ट खनिज

[5] अनुसूची एक के भाग ग और अनुसूची दो के भाग क में निर्दिष्ट खनिज

सूची इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई थी, जिसमें ऐसी सभी जानकारी शामिल नहीं थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि जिला कार्यालयों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उत्खनन पट्टों की सूची तैयार की जाती थी जिसमें पट्टों का पूर्ण विवरण संधारित किया जाता था। जिला कार्यालय सभी उत्खनन पट्टों का डेटाबेस संधारित करते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निर्धारित प्रारूप में उत्खनन पट्टों का रजिस्टर संधारित नहीं किया गया था। विभाग द्वारा संधारित सूचना फॉर्म– XII के अनुरूप नहीं है और उत्खनन स्थलों के संपूर्ण डेटा/जानकारी को नहीं दर्शाती है, और जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, उत्खनन क्षेत्रों की प्रभावी निगरानी के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

अनुशंसा :

1. ***जिला कार्यालयों को निर्धारित प्रारूप में उत्खनन पट्टों का डाटाबेस संधारित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।***

2.1.2 खान सीमा स्तंभ/सीमांकन का अभाव

छ.गौ.ख. नियम, 2015 के नियम 51 के उपनियम 11 के तहत निर्दिष्ट उत्खनन पट्टों के शर्तों के अनुसार, पट्टेदार अपने खर्च पर, खनन योजना में दिखाए गए सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक सीमा चिह्नों और सीमा स्तंभों का निर्माण, रखरखाव और सही मरम्मत करेगा।

लेखापरीक्षा ने खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ चयनित जिलों में स्थित 40[6] उत्खनन पट्टों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि चयनित 40 गौण खनिज खदानों में से 33 खदानों (82.5 प्रतिशत) में खदान सीमा स्तंभ/सीमांकन मौजूद नहीं थे। यह उत्खनन पट्टा विलेख (भाग VII के क्रमांक दो) की शर्तों का उल्लंघन था, जो सीमा चिह्नों को अच्छी अवस्था में बनाए रखने और सभी कोने के खंभों पर निर्देशांकों को चिह्नित करने का प्रावधान करता है। खान सीमाओं/सीमांकन न होने के कारण पट्टाकृत क्षेत्रों की प्रथम दृष्टया पहचान संभव नहीं थी। इसके अभाव में पट्टाकृत क्षेत्रों के बाहर अवैध उत्खनन की गुंजाइश रहती है और इसका पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है।

[6] चार जिलों यथा रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर एवं जांजगीर–चांपा के अन्तर्गत 25 प्रकरणों (चयनित 40 प्रकरणों में से 62.5 प्रतिशत) में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त भौतिक प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।

चित्रः 2.1: मंदिर हसौद, आरंग के पट्टा क्षेत्र खसरा क्रमांक 678 एवं 689 (कार्यरत) के आस पास किसी भौतिक सीमा स्तम्भ के नहीं होने को दर्शाता हुआ चित्र। (चित्र का दिनांक अक्टूबर 2021)

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि राजस्व अधिकारियों द्वारा पट्टा स्वीकृत करते समय पट्टों का सीमांकन किया गया था, परन्तु प्राकृतिक गतिविधियों के कारण इन्हें क्षति पहुँचती है। वर्तमान में उत्खनन पट्टों के निर्देशांकों का उल्लेख खनन योजनाओं (ख.यो.) में किया गया था तथा पट्टा क्षेत्र के बाहर उत्खनन पर छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (छ.वि.प्रौ.प.) के सहयोग से उपग्रह चित्रों के माध्यम से निगरानी की जाती थी। इसके अलावा, सभी उत्खनन पट्टों में, भारतीय खान ब्यूरो (भा.खा.ब्यू.) के निर्धारित मानक के अनुसार, सीमा स्तंभों का रखरखाव अनिवार्य कर दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि सीमा स्तंभों का रखरखाव सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है लेखापरीक्षा द्वारा दौरा किए गए गौण खनिज खदानों में से अधिकांश (82.5 प्रतिशत) में पट्टा क्षेत्र के सीमांकन को इंगित करने के लिए सीमा स्तंभों और सीमा चिह्नों को नियम में निर्धारित नहीं पाया गया था। इसके अलावा, छ.वि.प्रौ.प. को केवल 120 खानों (कुल 1,957 खानों में से) के संबंध में खनन निगरानी प्रणाली के लिए लगाया गया था।

अनुशंसा :

2. विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खनन योजना में दर्शाए गए सीमांकन को इंगित करने के लिए पट्टेदारों द्वारा सीमा चिन्हों के साथ सीमा स्तंभों का रखरखाव किया जा रहा है।

2.1.3 बफर जोन बनाए रखना

छ.गौ.ख. नियम, 2015 के नियम 42 के तहत, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी खदान संचालन शुरू करने के लिए लागू कानून के तहत आवश्यक सभी सहमति, अनुमोदन, अनापत्ति प्राप्त करने के बाद उत्खनन पट्टा का स्वीकृति प्रदान करेगा। भारत सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (प.प्र.आ.) अधिसूचना, 2006 में संशोधन किया (जनवरी 2016), जिसमें गौण खनिजों के खनन के लिए अग्रिम पर्यावरणीय स्वीकृति (प.स्वी.) अनिवार्य कर दी गई थी। तदनुसार, पट्टेदारों को उत्खनन पट्टा प्रदाय करने/नवीनीकरण से पहले प.स्वी. प्राप्त करना आवश्यक था। प.स्वी. की शर्तों के अनुसार खनन पट्टों के लिए बफर जोन/सुरक्षा जोन की सीमा 7.5 मीटर को बनाए रखना तथा पट्टा क्षेत्र के चारों ओर

वृक्षारोपण अनिवार्य था। बफर जोन की अनुमति का अर्थ है पट्टे के कुल खनन योग्य क्षेत्र में कमी, और परिणामतः खनिज भंडार में कमी क्योंकि बफर जोन में खनिजों का उत्खनन प्रतिबंधित है।

विभाग द्वारा अनुमोदित उत्खनन योजनाओं में बफर जोन/सुरक्षा जोन सीमा के आकार/क्षेत्र में एकरूपता नहीं थी। चालीस उत्खनन पट्टों के भौतिक सत्यापन से ज्ञात हुआ कि नौ उत्खनन पट्टों में पट्टा क्षेत्र के आसपास बफर जोन नहीं बनाया गया था और 37 पट्टों (92.5 प्रतिशत) में पट्टेदारों द्वारा कोई वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया था।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि गौण खनिजों के मामले में वर्ष 2015 से खनन योजना के अनुसार खनन कार्य करना अनिवार्य था, जिसमें लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर का सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाना था। अधिकांश उत्खनन पट्टों में खनन कार्य 2015 से पहले प्रारंभ हो गया था, जहां खनन कार्य स्वीकृत पट्टा क्षेत्र की परिधि से किया गया था क्योंकि पट्टा प्रदान करने के समय स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खनन कार्य करने का कोई प्रावधान नहीं था। इन पट्टों के मामले में, प.स्वी. में निर्धारित 7.5 मीटर के सुरक्षा/बफर जोन को छोड़ना संभव नहीं था। नई खदानों में बफर जोन छोड़ने के प्रावधान का पालन किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व स्वीकृत उत्खनन पट्टों के नवीनीकरण के समय पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। इसके अतिरिक्त जिला खनन प्राधिकारियों ने न तो मौजूदा पट्टों का सर्वेक्षण किया और न ही पट्टे वाले क्षेत्रों में 7–5 मीटर से कम बफर जोन की उपलब्धता/अनुमति दर्ज की।

2.1.4 उत्खनन पट्टों की मासिक विवरणी

छ.गौ.ख. नियम 2015 के नियम 51 (20) (क) के अनुसार, पट्टेदार हर महीने के दसवें दिन फॉर्म–XV में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें पिछले महीने में उत्खनित, हटाए गए/उपभोग किए गए खनिजों की कुल मात्रा होगी। आगे, नियम 51(20)(घ) के तहत यह निर्धारित किया गया था कि यदि पट्टेदार निर्धारित जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उक्त जानकारी प्रस्तुत करने तक ₹ 500 प्रति माह की शास्ति अधिरोपित की जायेगी। चयनित पांच जिलों में 125 में से 37 उत्खनन पट्टाधारियों ने नियमानुसार समय पर मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की तथा विवरणी प्रस्तुत करने में 1 से 19 माह तक का विलम्ब हुआ।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि नियत समय में मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान था तथा पट्टेदारों से वसूल कर लिया गया था।

विभाग द्वारा रायल्टी के सही निर्धारण के लिए मासिक विवरणी प्रस्तुत करने में समयबद्धता आवश्यक है। विवरणी के अभाव में, उत्पादित/खपत/हटाए गए खनिज की मात्रा का प्रतिसत्यापन नहीं किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप रॉयल्टी का कम मूल्यांकन हो सकता है। विलंब को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा शास्ति प्रावधान प्रभावी नहीं हैं। इसलिए, शासन को विलंब को हतोत्साहित करने हेतु और अधिक कड़े प्रावधान पर विचार करना चाहिए।

2.1.5 गौण खनिजों का निजी/शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग

छ.गौ.ख. नियम के नियम 72(1) के अनुसार, आवासीय भवन या विक्रय के लिए भवनों के निर्माण में लगे प्रत्येक व्यक्ति, कंपनी, फर्म, सोसायटी/ एसोसिएशन, फॉर्म–XXIII में, उपार्जन की तिथि, खनिज का नाम, वाहन संख्या, खदान का नाम, अभिवहन पास संख्या और मात्रा जैसे विवरण सहित, उपार्जित और निर्माण में उपयोग किए गए सभी गौण

खनिजों का सही हिसाब रखना होगा और संबंधित जिले के खनन अनुभाग के प्रभारी अधिकारी को, फॉर्म–XIV में उपार्जित और उपभोग किए गए गौण खनिजों की एक त्रैमासिक रिपोर्ट हर तिमाही की समाप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा।

संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म ने जिले के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिज वैध परमिट के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं या स्वीकृत उत्खनि पट्टों से खरीदे गये हैं, जिले में किये जा रहे शासकीय निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए (जून 2016) थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि किसी भी चयनित जिले में ऐसे व्यक्तियों, कंपनी, फर्मों आदि द्वारा गौण खनिजों के उपार्जन और उपयोग पर तिमाही रिपोर्ट जिला खनि प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं की गई, जैसा कि उपरोक्त नियम में निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट और आवश्यक विवरण के अभाव में, निजी संस्थाओं द्वारा उपार्जित किये जा रहे और निर्माण में उपयोग किए जा रहे गौण खनिजों के स्रोत को खनि अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। चयनित जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के स्रोत/मात्रा को सत्यापित करने के लिए शासकीय निर्माण कार्यों के स्थलों पर निरीक्षण नहीं किया गया था।

अतः गौण खनिजों के स्रोत की वैधता के सत्यापन के अभाव में राज्य में निर्माण गतिविधियों में अवैध रूप से उत्खनित गौण खनिजों के उपयोग की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने रायपुर में कुछ निजी निर्माण स्थलों का दौरा किया और मुरूम का बड़े पैमाने पर उपयोग देखा।

चित्र–2.2 (क): निजी निर्माण स्थलों पर मुरूम के उपयोग को दर्शाने वाला चित्र (आवासीय परियोजना, रायपुर, चित्र का माहः सितंबर 2021)

चित्र–2.2 (ख): निजी निर्माण स्थलों पर मुरूम के उपयोग को दर्शाने वाला चित्र (वाणिज्यिक परियोजना, रायपुर, चित्र का माहः सितंबर 2021)

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि विभागीय अधिकारियों ने समय–समय पर शासकीय/निजी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासकीय निर्माण कार्यों के स्थलों पर किए गए निरीक्षणों से संबंधित अभिलेख अथवा विभाग को प्रस्तुत तिमाही प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

2.1.6 चेक पोस्ट की स्थापना और कार्यप्रणाली

छत्तीसगढ़ की राज्य खनिज नीति (2013 में यथासंशोधित) में प्रावधान है कि खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों के समन्वय से मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट एवं तुलाचौकी स्थापित की जायेगी। इसके अतिरिक्त छ.ख.ख.प.भ. नियम के नियम 6 प्रावधानित करता है कि वैध अभिवहन पास के बिना खनिज/अयस्क के परिवहन तथा भण्डारण रोकने की दृष्टि से खनिजों तथा उसके प्रसंस्करित उत्पादों की श्रेणी, मात्रा आदि एवं अभिवहन पास की वैधता की जांच हेतु संचालक भौगिकी और खनिकर्म, राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर जाँच चौकी, तौल कांटा के साथ या उसके बिना स्थापित कर सकेगा। चेक पोस्ट पर जहाँ पास में कोई तुला कांटा नहीं है, परिवहन किये जाने वाले खनिजों की मात्रा घन मीटर में मापी जायेगी और फिर निर्धारित सूत्र के अनुसार टन में परिवर्तित की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ चयनित जिलों में से तीन (मुंगेली, कवर्धा और बलौदाबाजार) में कोई चेक पोस्ट स्थापित नहीं किया गया था। कवर्धा जिले में एक चेक पोस्ट वर्ष 2017–18 तक चालू थी, लेकिन जनशक्ति की कमी के कारण इसे बंद कर दिया गया था, जैसा कि जि.ख.अ. ने बताया था। शेष छः जिलों[7] में 18 जांच चौकियां स्थापित की गई थी। आगे, यह देखा गया कि छः जिलों में स्थापित 18 जांच चौकियों में से किसी में भी तौल कांटा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। खानों के भौगोलिक वितरण, चेक पोस्टों की स्थिति और वैकल्पिक मार्गों की उपलब्धता को देखते हुए मौजूदा चेक पोस्ट अपर्याप्त

[7] जांजगीर एवं कांकेर में 2–2, रायपुर एवं बिलासपुर में 3–3, तथा अम्बिकापुर एवं दुर्ग में 4–4।

पाए गए, जैसा कि **चित्र–2.3** में दिखाया गया है। तथापि, विभाग के अभिलेखों में चेक पोस्टों की संख्या की पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए कोई आंकलन नहीं पाया गया।

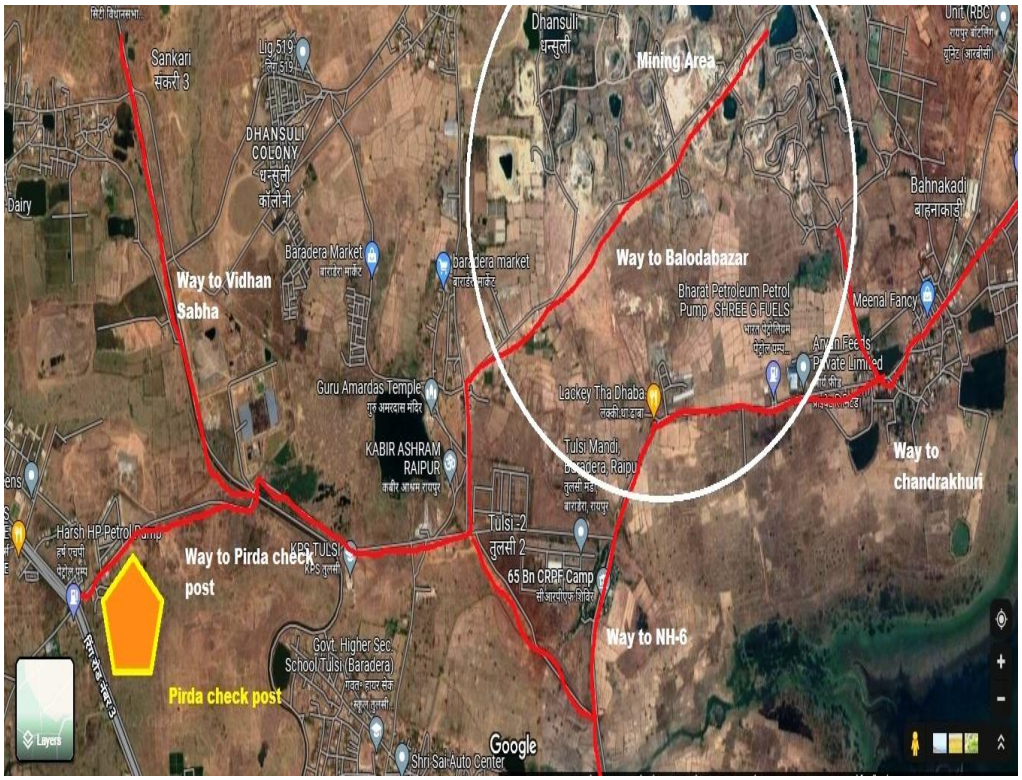

चित्र– 2.3: खनन क्षेत्र, वैकल्पिक मार्ग और चेक पोस्ट दर्शाती गूगल छवि।

चित्र–2.3 से देखा जा सकता है कि नरदहा, बहनाकाड़ी एवं धनसुली क्षेत्र से खनिजों के परिवहन के लिए कई वैकल्पिक मार्ग थे, जबकि चेक पोस्ट पिरदा चौक के पास ही स्थापित किया गया है। अतः दूसरे मार्ग से गुजरने वाले वाहन चेक पोस्ट से बच सकते थे।

आगे, यह देखा गया कि उपरोक्त वर्णित नियमों के अनुसार निर्धारित फार्मूले के अनुसार चेक पोस्ट पर परिवहन किए जा रहे खनिजों की वास्तविक मात्रा को मापे बिना खनि अधिकारियों द्वारा जारी चेक पोस्ट पंजी में अभिवहन पासों से प्रविष्टियां की जा रही थीं।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि राज्य में 45 अस्थायी जांच चौकियां कार्यरत हैं, जिनमें से दो जिलों में केवल चार जांच चौकियों में तौल कांटा की सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान में, चेक पोस्ट की उपयोगिता के आंकलन के आधार पर, मौजूदा चेक पोस्ट के अलावा जिला खनि अधिकारियों द्वारा विशेष उड़न दस्ते का गठन किया गया है।

शासन का उत्तर इंगित करता है कि चेक पोस्ट के माध्यम से अवैध परिवहन पर विभाग की सतर्कता में कमी थी।

अनुशंसा :

3. ***सरकार को मुंगेली, कवर्धा और बलौदाबाजार जिलों में निश्चित समय सीमा के भीतर पर्याप्त संख्या में चेक पोस्ट स्थापित करने चाहिए और खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग की जांच के लिए सभी चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे और तुलाकांटे की सुविधा स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।***

2.1.7 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन नहीं करने वाले आवेदकों को भण्डारण परमिट जारी करना

छ.गौ.ख.प.भ. नियम के नियम 7 की उप–धारा (4)(iii) निर्धारित करती है कि खनिजों के अस्थाई भण्डारण/बेनिफिशिएशन/क्रशिंग के लिए परमिट जारी करने और उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अ.प्र.प.) संलग्न किया जाए।

लेखापरीक्षा ने दुर्ग और कवर्धा जिलों में देखा कि निर्दिष्ट स्थल में सामग्री के परिवहन एवं अस्थायी भण्डारण के लिए 33 चयनित भण्डारण अनुज्ञापत्रों में से छः भण्डारण अनुज्ञापत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सुनिश्चित किये बिना प्रदान किये गये थे। इस प्रकार, विभाग जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित उपरोक्त नियमों एवं प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि जल/वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत प.स्वी., अ.प्र.प. की शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में खनिज साधन विभाग कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छ.गौ.ख.प.भ. नियमावली 2009 के नियम 7(4)(iii) के तहत भण्डारण परमिट के लिए आवेदन के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए, जिसे विभाग द्वारा परमिट जारी करते समय सुनिश्चित नहीं किया गया था।

2.1.8 गौण खनिजों के अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण पर शास्ति आरोपित करना

छ.गौ.ख. नियम, 2015 के उप–नियम 71(5) में कहा गया है कि कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उप संचालक/खनिज अधिकारी या जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, अभियोजन संस्थित करने से पहले या उसके पश्चात, उप–नियम(1) के के अधीन इस प्रकार कारित अपराध का, इस प्रकार निकाले गए या परिवहन किए गए खनिज के बाजार मूल्य के भुगतान पर और ऐसे जुर्माने को, जो इस तरह निकाले गए या परिवहन किए गए खनिज के बाजार मूल्य के दोगुने[8] तक हो सकता है, लेकिन किसी भी मामले में पांच हजार रुपए कम नहीं होगा अथवा इस प्रकार निकाले गए खनिजों की रायल्टी का दस गुने से, इनमें से जो भी अधिक हो, का भुगतान करने पर प्रशमन कर सकेगा। इसके अलावा, खा.ख.वि.वि अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(बी) के अनुसार जुर्माना लगाने के लिए उपरोक्त नियम 71 में संशोधन (जून 2020) किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2015–16 से 2020–21 (जून 2020 तक) के दौरान चयनित जिलों/केंद्रीय उड़न दस्ते (कें.उ.द.) में खनन अधिकारियों द्वारा अवैध निकासी के कुल 1,651 मामले और अवैध परिवहन के 13,049 मामले दर्ज किए गए थे और ₹ 23.27 करोड़ की शास्ति आरोपित की गई थी। इस संबंध में यह देखा गया कि अवैध निकासी के 792 प्रकरणों एवं अवैध परिवहन के 2,744 प्रकरणों में उपरोक्त नियमों के अनुसार अर्थदण्ड की राशि आरोपित नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप 2015–16 से

[8] जिला कलेक्टर द्वारा समय–समय पर निर्धारित

2020–21 (जून 2020 तक)[9] की अवधि के दौरान ₹ 10.51 करोड़ (जैसा कि **परिशिष्ट 2** और **3** में वर्णित है) की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि अवैध खनन/परिवहन के प्रकरणों पर कार्रवाई खा.ख.वि.वि अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी थी जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शास्ति की राशि की गणना नियमों के अनुसार निर्धारण नहीं की गई थी, जिसके कारण शास्ति का कम आरोपण हुआ।

2.1.9 खनन गतिविधियों का निरीक्षण/निगरानी

खानों और खदानों के निरीक्षण के लिए उ.स.ख.प्र./जि.ख.अ., स.ख.अ., खनि निरीक्षक (ख.नि.) और कांस्टेबल जिम्मेदार हैं। स.भौ.ख. के आदेश (मई 2008[10]) के अनुसार, उ.स.ख.प्र./जि.ख.अ. को वर्ष में एक बार अपने क्षेत्राधिकार में 50 प्रतिशत मुख्य और गौण खनिज खानों का निरीक्षण करना आवश्यक है, स.ख.अ. को अपने नियंत्रणाधीन सभी मुख्य और गौण खनिज खानों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना आवश्वक है और ख.नि. को हर छहः महीने में एक बार मुख्य और गौण खनिज खानों का निरीक्षण करने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती हैः (i) क्या पट्टे के विवरण दिखाने वाले साइन बोर्ड लगाए गए थे, (ii) पट्टे वाले क्षेत्रों को उचित रूप से सीमांकित किया गया था, (iii) पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के बाहर खनिजों के खनन की पहचान, (iv) खनिज की उपलब्धता, उत्खनन और प्रेषित/भंडारित खनिज की मात्रा, (v) अभिलेखों का संधारण संतोषजनक हैं, और (vi) पर्यावरण और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन, आदि।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा लक्ष्यों के विरुद्ध निरीक्षण गतिविधियों में महत्वपूर्ण कमी थी, जैसा कि **तालिका–2.1** में दिया गया है।

तालिका–2.1: खानों के निरीक्षण में कमी का विवरण

स. क्र.	जिले का नाम	किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या		किये गये निरीक्षणों की संख्या		निरीक्षण में कमी		कमी का प्रतिशत	
		जि.ख.अ. / स.ख.अ.	ख.नि.	जि.ख.अ. / स.ख.अ.	ख.नि.	जि.ख.अ./ स.ख.अ.	ख.नि.	जि.ख.अ. / स.ख.अ.	ख.नि.
1	दुर्ग	1508	2010	16*	उ.न.क **	-	-	-	-
2	मुंगेली	213	284	16	40	197	244	**92**	**86**
3	कवर्धा	125	166	237	154	0	12	-	**07**
4	रायपुर	1595	2126	366	343	1229	1783	**77**	**84**
5	बलौदाबाजार	1046	1394	82	306	964	1088	**92**	**78**
6	बिलासपुर	903	1204	74	529	829	675	**92**	**56**
7	जांजगीर–चांपा	1539	2052	353	561	1186	1491	**77**	**73**
8	कांकेर	218	290	उ.न.क.	उ.न.क.	-	-	-	-
9	अम्बिकापुर	977	1302	468	509	509	793	**52**	**61**

**केवल जि.ख.अ. ** उपलब्ध नहीं कराया*
(स्रोतः जिला खनि अधिकारियों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी से संकलित)

[9] छ.गौ.ख. नियम के नियम 71 में संशोधन (जून 2020) के कारण खा.ख.वि.वि. की धारा 21 से 23–ख के तहत शास्ति आरोपित की जानी थी। लेखपरीक्षा आरोपणीय और और शास्ति की तुलना करने में सक्षम नहीं था क्योंकि शास्ति की शर्त अधिकतम राशि निर्धारित करती है जिस तक शास्ति आरोपित की जा सकती है।

[10] क्र./ 1675–90/ खनन–1/एफ क्र. 8/2007, दिनांक 24 मई 2008।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि छः जिलों में खानों के निरीक्षण में 52 से 92 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण कमी थी। आगे, दो जिलों (दुर्ग एवं कांकेर) में संबंधित जि.ख.अ. द्वारा निरीक्षण का विवरण/संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी थी। साथ ही, वास्तव में किए गए निरीक्षणों से संबंधित प्रतिवेदन किसी भी चयनित जिले के अभिलेखों में नहीं पाए गए।

इसके अलावा, चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि निरीक्षण अधिकारियों/कर्मचारियों[11] की वास्तविक संख्या, स्वीकृत संख्या से काफी कम थी, और जिलों में वर्ष 2020–21 के दौरान कमी 20 से 60 प्रतिशत के बीच थी, जैसा कि **तालिका– 2.2** में वर्णित है। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य स्तर पर 157 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 67 पद रिक्त थे और कमी 43 प्रतिशत थी।

तालिका–2.2: निरीक्षण अधिकारियों की कमी का विवरण

स. क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	कमी का प्रतिशत
1	दुर्ग	05	03	**40**
2	मुंगेली	05	04	**20**
3	कवर्धा	05	02	**60**
4	रायपुर	07	03	**57**
5	बलौदाबाजार	04	03	**25**
6	बिलासुपर	25	15	**40**
7	जांजगीर–चांपा	04	03	**25**
8	कांकेर	05	03	**40**
9	अम्बिकापुर	07	03	**57**

(स्रोतः जिला खनि अधिकारियों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी से संकलित)

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि राज्य में खनि निरीक्षकों की कमी के कारण खानों के निरीक्षण में कमी थी। खनि निरीक्षकों के 35 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विभाग में निरीक्षण अधिकारियों की भारी कमी रही है। निरीक्षण गतिविधियों के लिए जनशक्ति की कमी के कारण, पर्याप्त निरीक्षण नहीं किया जा सका और इसने खनन गतिविधियों पर समग्र नियंत्रण और निगरानी को प्रभावित किया क्योंकि अवैध खनन को रोकने के लिए स्थल पर निरीक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

अनुशंसा :

4. विभाग को पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित कर निर्धारित मानदंडों के अनुसार निरीक्षण और निरीक्षण के उचित अभिलेखों के संधारण को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.10 जिला टास्क फोर्स

छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण को रोकने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रत्येक जिले में जिला टास्क फोर्स (जि.टा.फो.) का गठन किया (अक्टूबर 2005)। जि.टा.फो. में जिला कलेक्टर अध्यक्ष के रूप में एवं पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला खनि अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं। जि.टा.फो. को अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की सतत निगरानी

[11] उ.सं.ख.प्र., जि.ख.अ., स.ख.अ., ख.नि. एवं कांस्टेबल।

सुनिश्चित करने तथा इन मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मासिक आधार पर समीक्षा बैठकें आयोजित करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जि.टा.फो. की मासिक समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई थीं। जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए बैठकों के अभिलेखों के अनुसार, नमूना जांच किए गए छः जिलों में 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान 432 बैठकों के विरुद्ध केवल 17 बैठकें आयोजित की गई थीं। तीन जिलों[12] में हुई बैठकों के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा, तीन जिलों में[13], जि.टा.फो. ने अवैध निकासी/परिवहन के 204 पंजीकृत मामलों की समीक्षा की और जुर्माना वसूल किया। चयनित जिलों में जि.टा.फो. की मासिक समीक्षा बैठकों का विवरण **तालिका–2.3** में विस्तृत है।

तालिका–2.3: 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान जि.टा.फो. की बैठक का विवरण

स. क्र.	जिले का नाम	आयोजित की जाने वाले बैठक की संख्या	वास्तविक रूप से की गयी बैठकों की संख्या	कमी का प्रतिशत
1	दुर्ग	72	01	99
2	मुंगेली	72	02	97
3	कवर्धा	72	01	99
4	रायपुर	72	उपलब्ध नहीं कराया गया	.
5	बलौदाबाजार	72	04	94
6	बिलासुपर	72	06	92
7	जांजगीर–चांपा	72	उपलब्ध नहीं कराया गया	.
8	कांकेर	72	03	96
9	अम्बिकापुर	72	उपलब्ध नहीं कराया गया	.

(स्रोतः जिला खनि अधिकारियों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी से संकलित)

इस प्रकार, जि.टा.फो. ने खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से काम नहीं किया।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि प्रत्येक जिले में जि.टा.फो. की बैठकें आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

2.1.11 केन्द्रीय उड़न दस्ता

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण के मामलों का निरीक्षण करने और विभाग में प्राप्त शिकायतों के निपटारे के लिए स.ख.अ., ख.नि. और कांस्टेबलों को शामिल करते हुए सं.भौ.ख. के कार्यालय में एक केंद्रीय उड़न दस्ते (के.उ.द.) की स्थापना की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा को के.उ.द. की स्थापना के लिए कोई औपचारिक आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया था। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार के.उ.द. औचक निरीक्षण कर रहा था। 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान, के.उ.द. ने अवैध खनन/भंडारण के 14 मामले और अवैध परिवहन के 305 मामले (अर्थात लगभग 53 मामले प्रति वर्ष) दर्ज किए और ₹ 1.34 करोड़ का जुर्माना वसूल किया। हालांकि, सं.भौ.ख. के कार्यालय में के.उ.द. के कार्यपद्धिति का कोई निश्चित

[12] रायपुर, जांजगीर–चांपा और अम्बिकापुर

[13] दुर्ग– 23 प्रकरण/ ₹ 4.75 लाख, बिलासपुर– 10 प्रकरण/ ₹ 10.42 लाख, एवं कांकेर– 171 प्रकरण।

तंत्र नहीं देखा गया क्योंकि प्राप्त शिकायतों और शिकायतों के विरूद्ध किए गए निरीक्षण/जांच का कोई रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था।

सं.भौ.ख. ने बताया (जनवरी 2021) कि शासन/विभाग स्तर पर गंभीर शिकायतें मिलने पर के.उ.द. ने औचक निरीक्षण किया। शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन) को शासन/संचालनालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए के.उ.द. का प्रभार सौंपा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि के.उ.द. के संचालन के लिए संरचित तंत्र की अनुपस्थिति और शिकायतों के अभिलेखों के अनुरक्षण के अभाव में, प्रत्येक शिकायत के विरुद्ध की गयी कार्रवाई लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

2.2 गौण खनिजों के लिए अन्य नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन

2.2.1 जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली

खनिजों के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए खनिजों को ले जाने वाले वाहनों की ट्रैकिंग एक प्रभावी नियंत्रण उपाय है। इससे विभाग को अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती और कई जांच चौकियों की स्थापना के बिना खनिजों की आवाजाही की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वाहन ट्रैकिंग के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के लाभों पर विचार करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन ने छ.ख.ख.प.भ. नियम 2009 में संशोधन किया (अप्रैल 2017) और नियम 17 अन्तःस्थापित किया। नियम 17(3)(ii) निर्धारित करता है कि इन संशोधनों की अधिसूचना से 180 दिनों के भीतर जीपीएस आधारित ट्रैकर स्थापित किए बिना मुख्य खनिजों/अयस्क और/या इसके परिष्कृत उत्पादों का परिवहन निषिद्ध होगा। हालांकि, गौण खनिजों के परिवहन के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया गया था। इस प्रकार, शासन ने मुख्य और गौण खनिजों के परिवहन पर नियंत्रण के लिए अलग–अलग मानक अपनाए हैं। गौण खनिजों के परिवहन के मामले में इसी प्रावधान को अपनाने से शासन के निगरानी तंत्र में काफी सुधार होगा।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि खनिज–ऑनलाइन 2.0 में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जा रही है।

2.2.2 गौण खनिजों के परिवहन के लिए ई–परमिट प्रणाली

फरवरी 2012 में यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य खनन नीति के अनुसार खनिजों के परिवहन हेतु ई–परमिट प्रणाली को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना था।
लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने आठ वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद गौण खनिजों के संबंध में ई–परमिट प्रणाली लागू नहीं की थी। सिस्टम जनित ई–अभिवहन पास के अभाव में, विभाग ने भौतिक अभिवहन पास जारी करना जारी रखा है। इस प्रकार, विभाग व्यवस्था में सुधार करने एवं अवैध खनन एवं परिवहन की सम्भावनाओं पर नियंत्रण करने में विफल रहा।

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि नव अधिसूचित 31 गौण खनिजों के मामले में अभिवहन पास 'खनिज–ऑनलाइन' के माध्यम से जनरेट किए जा रहे हैं। शेष गौण खनिजों के मामले में भी ऑनलाइन अभिवहन पास जनरेट करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर इंगित करता है कि विभाग द्वारा आठ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी गौण खनिजों के परिवहन हेतु ई–परमिट प्रणाली को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया था।

अनुशंसा :

5. ***खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग को गौण खनिजों के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और ई–परमिट सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करने पर विचार करना चाहिए।***

2.3 शिकायत निवारण प्रणाली

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, शिकायतों को दर्ज करने, समीक्षा करने, कार्रवाई शुरू करने और निगरानी करने के लिए एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली शासकीय/लोक सेवा कार्यालयों का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऐसी प्रणाली आम जनता/हितधारकों की जरूरतों और सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ[14] में से पांच जिला खनि कार्यालय, खनन गतिविधियों से संबंधित आम जनता की शिकायतों को दर्ज करने के लिए मैनुअल शिकायत पंजी संधारित कर रहे थे। तथापि, पाँच[15] में से चार जिला कार्यालयों में, शिकायतों के निराकरण की स्थिति, प्रकरणों के समाधान हेतु उठाये गये कदम एवं लम्बित विवरण, आदि सम्बन्धित पंजी में दर्ज नहीं किये जा रहे थे। शिकायतों के निराकरण की स्थिति अभिलेख में नहीं पायी गयी।

इस प्रकार, भौतिक रूप से प्राप्त शिकायतों के अभिलेखन एवं निराकरण की प्रणाली उचित नहीं थी, जो खराब शिकायत निवारण तंत्र को दर्शाती है।

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि प्रत्येक जिले में शिकायत पंजी का संधारण किया गया था तथा प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की जा चुकी है। आगे, विभाग ने 'खनिज ऑनलाइन' पोर्टल में ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त करने का प्रावधान किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि की गई कार्रवाई तथा मैन्युअल रूप से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति पंजियों में दर्ज नहीं की गई थी।

[14] जि.ख.अ. कांकेर द्वारा पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था जबकि जि.ख.अ. बलौदाबाजार, दुर्ग और रायपुर ने लेखापरीक्षा को जांच हेतु पंजी प्रस्तुत नहीं किया।

[15] जांजगीर–चांपा के अलावा।

अध्याय III

अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए उन्नत तकनीकों का अपनाया जाना

अध्याय III

अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने हेतु उन्नत तकनीक का अपनाया जाना

सारांश

- पांच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली अब तक लागू नहीं की गयी है (दिसंबर 2022)।
- गूगल अर्थ प्रो सोफ्टवेयर का उपयोग कर 202 उत्खनन पट्टों के प्लॉटिंग किये जाने पर ज्ञात हुआ कि आठ प्रकरणों में, खुदाई किये जाने के कारण बने गड्ढ़े, उत्खनन पट्टों के स्वीकृत निर्देशांकों/सीमाओं के बाहर थे और 40 प्रकरणों में, पर्यावरण स्वीकृति एवं उत्खनन योजना की शर्तों के अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर वृक्ष नहीं लगाए गए थे। आगे, कवर्धा जिले में, स्वीकृत लीज क्षेत्र के अलावे 15 स्थानों पर गड्ढ़े पाए गए।
- तकनीकि सलाहकार के माध्यम से कराए गए ड्रोन सर्वेक्षण की मदद से लेखापरीक्षा ने रायपुर जिले में स्वीकृत सीमा के बाहर चूनापत्थर का अवैध खनन (धनसुली, नरदहा एवं अकोलडीह–खपरी), नवा रायपुर में अनाधिकृत स्थल पर मुरूम का अवैध उत्खनन एवं कुम्हारी में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर रेत का अवैध उत्खनन, जो 85,544.65 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली थी, का पता लगाया। खनिजों के अवैध उत्खनन की मात्रा 2,83,061.94 घन मीटर आंकी गई थी।

3.1 उन्नत तकनीकों का परिचय

राज्य खनिज नीति (2013 में संशोधित) में अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए उच्च रिजॉल्यूशन उपग्रह डाटा के उपयोग की परिकल्पना की गई थी। उच्च तकनीक का उपयोग कर खनन गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है, जैसा कि मुख्य खनिजों के लिए अपनाया गया है। इसमें राज्य में अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने के लिए खनन निगरानी प्रणाली (ख.नि.प्र.) का विकास, भौगोलिक सूचना प्रणाली (भौ.सू.प्र.) का उपयोग और ड्रोन सर्वेक्षण शामिल हो सकते हैं। राज्य में गौण खनिजों के संदर्भ में ख.नि.प्र. के कार्यावन्यन की स्थिति तथा भौ.सू.प्र. और ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए चयनित उत्खनन पट्टों पट्टों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणामों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं की गयी है।

3.1.1 गौण खनिज पट्टों के लिए खनन निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन न किया जाना

भारत सरकार (भा.स.), खान मंत्रालय ने देश में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली, ख.नि.प्र. का शुभारम्भ किया (अक्टूबर 2016)। इस प्रणाली का उददेश्य स्वचालित रिमोट सेंसिंग डिटेक्शन तकनीक से मुख्य खनिज के पट्टों के लिए अवैध खनन गतिविधियों की घटनाओं पर अंकुश लगाकर उत्तरदायी खनिज प्रशासन की एक व्यवस्था स्थापित करना है जो मौजूदा खनन क्षेत्रों के आसपास किसी भी खनन जैसी गतिविधि के लिए ट्रिगर[1] प्रदान कर सकता है। मुख्य खनिज पट्टों के लिए ख.नि.प्र. के सफल कार्यान्वयन के बाद, गौण खनिज पट्टों के लिए भी ख.नि.प्र. को

[1] ख.नि.प्र. में सम्मिलित खनि पटटों के 500 मीटर जोन के भीतर अवैध उत्खनन की घटनाएं।

लागू करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में गौण खनिज पट्टों के लिए ख.नि.प्र. के कार्यान्वयन हेतु, भारत सरकार, खान मंत्रालय ने भू–संदर्भीकरण और डिजिटलीकरण पर ख.नि.प्र. के राज्य नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन (सं.भौ.ख.) तथा राज्य रिमोट सेंसिंग एजेन्सी अर्थात छत्तीसगढ़ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद (छ.वि.प्रौ.प.) के अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया (जुलाई 2017)। बाद में, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 24.73 लाख की कुल लागत पर 120[2] खानों के लिए ख.नि.प्र. के कार्यान्वयन के लिए छ.वि.प्रौ.प. को नियुक्त किया (नवंबर 2017)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ख.नि.प्र. के कार्यान्वयन के लिए डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) के माध्यम से खान/उत्खनन पटटों के सीमा स्तंभों के भू–निर्देशांकों के सर्वेक्षण और रिकॉर्डिंग, भू–नियंत्रण बिंदुओं के आधार पर गौण खनिजों के पट्टों के भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण और भू–संदर्भीकरण, उपग्रह चित्रों पर निर्देशांकों का अधिरोपण, आदि की आवश्यकता है। हालांकि, विभाग ने सही भू–संदर्भीकरण के लिए खानों/खदानों के निकट डीजीपीएस द्वारा सर्वेक्षण किये गये जमीनी नियंत्रण बिंदुओं को विकसित नहीं किया था। लेखापरीक्षा छ.वि.प्रौ.प. द्वारा किये गये कार्य की प्रगति तथा गुणवत्ता सत्यापित नहीं कर सका, क्योंकि प्रारंभ में 120 खानों के लिए ख.नि.प्र. के कार्यान्वयन के लिए छ.वि.प्रौ.प. को सौंपे गये कार्य की प्रगति के अभिलेख बार–बार अनुरोध[3] के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रदाय नहीं किये गये थे।

डीजीपीएस द्वारा सर्वेक्षित भू–नियंत्रण बिंदुओं का विकास न करने एवं जीपीएस के गैर मानकीकरण के संदर्भ में शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि प्रत्येक जिले में योग्य सर्वेक्षक/ड्राफ्टसमैन की भर्ती की आवश्यकता होगी। ख.नि.प्र. के कार्यान्वयन में विलंब के संदर्भ में शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि छ.वि.प्रौ.प. ने इसरो से उपग्रह डाटा प्राप्त करने के बाद भू–संदर्भ और डिजिटाइजेशन कार्य किया और ट्रिगर उत्पन्न किये। सत्यापन के लिए ट्रिगर संबंधित जिलों को प्रेषित किये गये थे। हालांकि, सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि खसरा मानचित्र में दिखाए गए खानों की सीमाओं का स्थान निर्देशांक के साथ मेल नहीं खाता था और स्थल पर स्थानांतरण देखा गया था। इस तकनीकि त्रुटि के कारण सत्यापन प्रक्रिया में विलंब हो रहा था।

तथ्य यह है कि गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली को राज्य में अभी तक सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाना शेष है।

अनुशंसा :

6. विभाग गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली को अतिशीघ्र लागू करे।

3.1.2 भौगोलिक सूचना प्रणाली (भौ.सू.प्र.) के अनुप्रयोग के आधार पर निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने चयनित नौ जिला खनि अधिकारियों से उत्खनन पट्टों के निर्देशांक प्राप्त किए और गूगल अर्थ प्रो सोफ्टवेयर पर 202 उत्खनन पट्टों के निर्देशांक प्लॉट किया।

इन निर्देशांकों को प्लॉट करने के बाद लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार पायाः

- सात जिलों के अंतर्गत 40 प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने पर्यावरण स्वीकृति एवं उत्खनन योजना की शर्तों के अनुसार पट्टा क्षेत्र के चारों ओर कोई वृक्षारोपण नहीं पाया।
- चार जिलों के अंतर्गत आठ प्रकरणों में उत्खनन पट्टों के आसपास स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर गड्ढ़े पाये गये।

[2] 31 नये गौण खनिज और ग्रेनाइट का।

[3] प्रधान महालेखाकार का विभाग को पत्र दिनांक 24 अगस्त 2021।

➢ कवर्धा जिले में, स्वीकृत लीज क्षेत्र के अलावा 15 स्थलों पर गड्ढ़े पाये गये।

प्रेक्षणों की संक्षिप्त स्थिति नीचे **तालिका–3.1** में दी गई है:

तालिका–3.1: निर्देशांक प्लॉट करने के बाद पाई गई अनियमितताओं का विवरण

जि.ख.अ. का नाम	कुल आबंटित पटटों की संख्या	जांच किए गए प्रकरणों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियां	
			स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर गडढे पाया जाना	वृक्षारोपण न किया जाना
दुर्ग	148	25	00	13
मुंगेली	31	07	01	01
कवर्धा	24	23	00	05
रायपुर	214	67	05	02
बलौदाबाजार	97	12	00	08
बिलासपुर	123	23	01	00
जांजगीर–चांपा	193	22	00	08
कांकेर	16	08	01	00
अम्बिकापुर	109	15	00	03
योग	**955**	**202**	**08**	**40**

इस प्रकार, पटटेदार पर्यावरणीय स्वीकृति में परिकल्पित वृक्षारोपण के संबंध में नियमों एवं शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे थे तथा उत्खनन योजना में अनुमोदित निर्देशांकों के बाहर उत्खनन कार्य कर रहे थे, लेकिन विभाग पर्यावरणीय स्वीकृति एवं उत्खनन योजना में परिकल्पित मानदंड के अनुपालन को लागू करने में विफल रहा, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

3.1.2 (i) उत्खनन योजना के मानदंडों का पालन न किया जाना (वृक्षारोपण न किया जाना)

पर्यावरणीय स्वीकृति/खनन योजनाओं में निर्धारित शर्तों के अनुसार, पटटाधारकों को बैरियर जोन में वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य है। चालीस प्रकरणों में पर्यावरणीय स्वीकृति एवं खनन योजनाओं में दिए गए मानदंडों के अनुसार वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया था। इनमें से 33 पट्टे 2015 के पूर्व स्वीकृत किए गए थे एवं आठ पट्टे 2015 के बाद स्वीकृत किए गए थे।

उपरोक्त 40 में से 10 प्रकरणों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि सात प्रकरणों में कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया था तथा अन्य तीन प्रकरणों में आंशिक रूप से वृक्षारोपण किया गया था।

वर्तमान प्रकरण में यह देखा जा सकता है कि प.स्वी. एवं खनन योजना के अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया था। विभाग 2015 के बाद स्वीकृत पट्टों के मामले में भी प.स्वी. एवं खनन योजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका।

चित्र–3.1 (क): ग्राम रानीजरौद, बलौदाबाजार 1.172 हे. में खान का उपग्रह चित्र, जहॉ कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया था। (फोटो दिनांकः मई 2021), स्त्रोतः गूगल अर्थ प्रो

चित्र–3.1 (ख): संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए उपरोक्त खान (चित्र–3.1 (क)) का चित्र, (फोटो दिनांकः सितंबर 2022)

3.1.2 (ii) स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर गड्ढ़े

202 उत्खनन पट्टों में से, जिनके लिए लेखापरीक्षा ने संबंधित अनुमोदित योजनाओं में दिए गए निर्देशांकों को प्लॉट किया, चार जिलों के अंतर्गत आठ प्रकरणों में स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर उत्खनन पट्टों के निकट गड्ढ़े पाये गये।

वर्तमान प्रकरण में यह देखा जा सकता है कि पटटेदार द्वारा खनन गतिविधि के कारण बनाए गए गडढे को उत्खनन योजना में स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर तक बढ़ाया गया था (जैसा कि **चित्र– 3.2(क), (ख) एवं (ग)** में दर्शाया गया है))। उत्खनन पट्टे के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान गड्ढ़ा पास के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत निर्देशांकों से आगे बढ़ा हुआ पाया गया।

चित्र–3.2 (क): स्वीकृत निर्देशांक के बाहर गड्ढ़ा दिखाते हुए उपग्रह चित्र (खसरा संख्या 1960, क्षेत्रफल–0.971, ग्राम– नरदहा, तहसील– आरंग, जिला– रायपुर, लीज अवधि– 25. 09.2002 से 24.09.2032) फोटो दिनांकः अप्रैल 2021, स्त्रोतः गूगल अर्थ प्रो

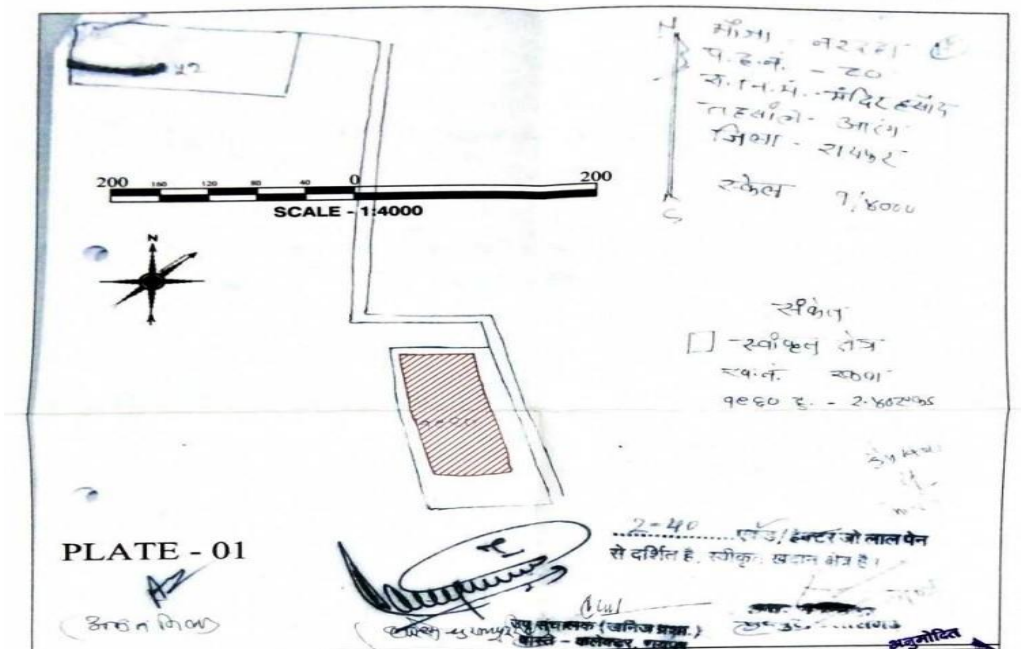

चित्र–3.2 (ख): चित्र–3.2 (क) का खसरा मानचित्र

चित्र–3.2 (ग): संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए उपरोक्त खान (चित्र–3.2 (क)) का चित्र, (फोटो दिनांक: सितंबर 2022)

3.1.2 (iii) स्वीकृत पट्टों के अलावा अन्य क्षेत्रों में खनन गतिविधियां

निर्देशांक के वास्तविकता को सत्यापित करने और यह जांच करने के लिए कि क्या अनाधिकृत खनन गतिविधियां स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर की जा रही थी, लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में से एक अर्थात कवर्धा जिलें में स्वीकृत सभी पट्टों के निर्देशांक की मांग की। जि.ख.अ. कवर्धा ने 28 पटटों (मुख्य खनिज के पट्टों सहित) के निर्देशांक प्रस्तुत किए। लेखापरीक्षा ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से इन सभी पट्टों के निर्देशांक "गूगल अर्थ प्रो" पर प्लॉट किए। निर्देशांक प्लॉट करने के बाद लेखापरीक्षा ने जिले में 15 स्थलों की पहचान की, जहॉ स्वीकृत पट्टों के अलावा अन्य क्षेत्रों में गडढे देखे गए (जैसा कि **चित्र–3.3 (क) एवं (ख)** में दर्शाया गया है)। यह स्वीकृत पट्टों क्षेत्रों के बाहर अनाधिकृत खनन गतिविधियों को इंगित करता है।

विभाग द्वारा अवैध खनन क्षेत्रों का पता न लगाने से अवैध खनन गतिविधियों में वृद्धि होगी और राज्य शासन को राजस्व की हानि होगी।

संकेतकः

पीला – स्वीकृत पट्टे

लाल – अनाधिकृत गड्ढ़े

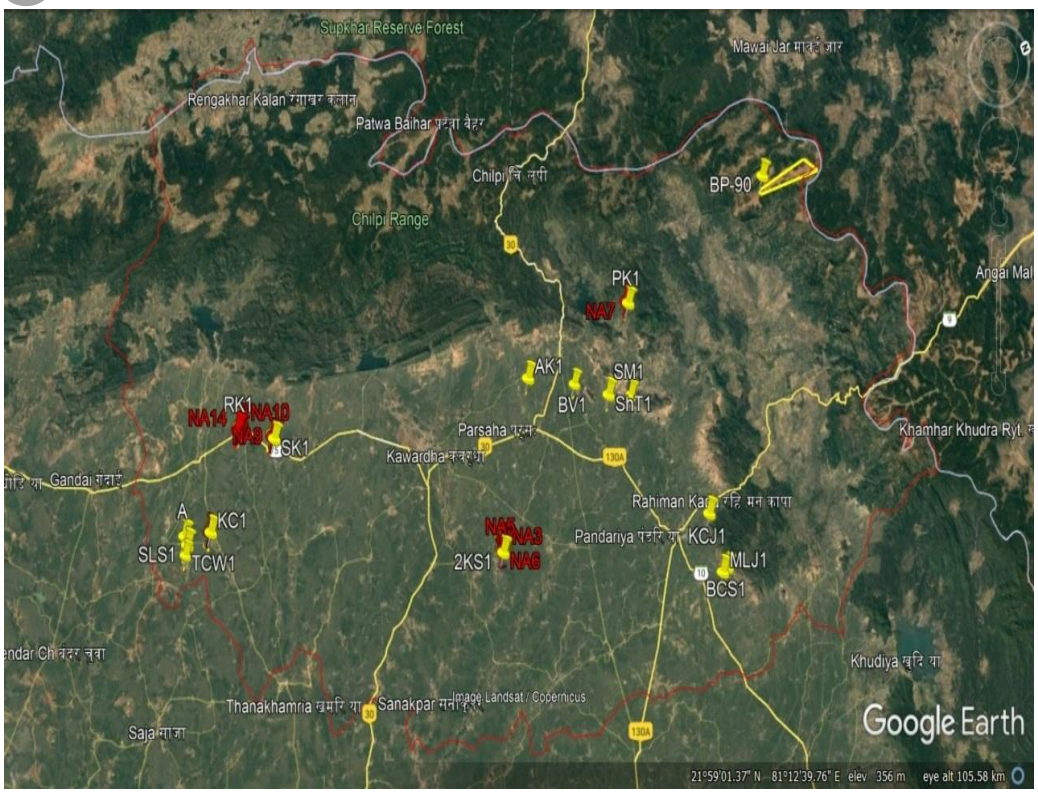

चित्र–3.3 (क): स्वीकृत एवं अनाधिकृत गड्ढों का उपग्रह चित्र (फोटो दिनांकः मई 2020), स्त्रोतः गूगल अर्थ प्रो

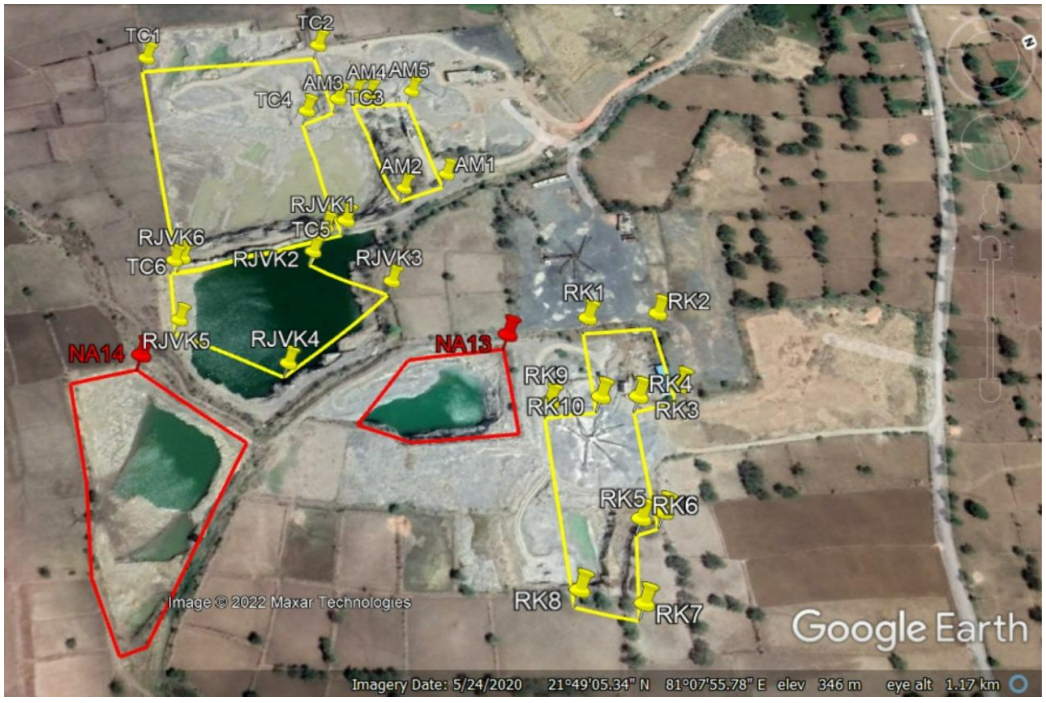

चित्र–3.3 (ख): स्वीकृत एवं अनाधिकृत गड्ढों का उपग्रह चित्र (फोटो दिनांकः मई 2020), स्त्रोतः गूगल अर्थ प्रो

शासन ने कहा (जनवरी 2023) कि गौण खनिजों के मामले में पटवारी मानचित्र के आधार पर सीमांकन के बाद पट्टे स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2015 के बाद गौण खनिज के मामले में भी खनन योजना के अनुसार कार्य किया जाना अनिवार्य किया गया था। जिसके बाद यदि स्वीकृत खनन योजना में दर्शाये गये निर्देशांक के मिलान में अनियमितता पायी गयी तो इसे मौके पर जांच एवं कार्यवाही के लिए जिला कार्यालयों को भेजा जाता है। इस संबंध में उचित सत्यापन के बाद ही खनन योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने आठ मामलों में पाया कि उत्खनन गतिविधियों के कारण निर्मित गडढे स्वीकृत निर्देशांक के बाहर थे, जो खनन योजना का उल्लंघन था। इसके अलावा, शासन ने पट्टों के बैरियर जोन में कोई वृक्षारोपण नहीं किए जाने और कवर्धा जिले में स्वीकृत पट्टों के अलावा अन्य क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

3.1.3 ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए उत्खनन पट्टों का लेखापरीक्षा विश्लेषण

202 उत्खनन पट्टों के गूगल अर्थ प्रो विश्लेषण एवं 40 उत्खनन पट्टों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के आधार पर, लेखापरीक्षा ने ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग कर अवैध खनन स्थलों की मैपिंग और मात्रा गणना के लिए सात उत्खनन पट्टों/स्थलों[4] का चयन किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.) रायपुर (तकनीकी सलाहकार) को इस उददेश्य के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ड्रोन सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने विभागीय अधिकारियों सहित तकनीकी सलाहकार के साथ किया। तकनीकी सलाहकार ने स्वीकृत उत्खनन योजना में उल्लेखित निर्देशांकों के आधार पर ड्रोन सर्वेक्षण संपादित किया। तकनीकी सलाहकार की रिपोर्ट में चूना पत्थर की पांच में तीन खदानों और रेत खदान में गंभीर अवैध उत्खनन की पुष्टि हुई। इसके अलावा, ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करके अवैध रूप से उत्खनित मुरूम के क्षेत्रफल और मात्रा की भी गणना की गयी।

3.1.3 (i) मुरूम का अवैध उत्खनन

केन्द्र सरकार/राज्य शासन के किसी विभाग या उपक्रम/निजी कार्यों के लिए आवश्यक मुरूम के उत्खनन, हटाने और परिवहन के लिए नियम 58 के तहत दो वर्ष के लिए प्रदान की जाती है, और पंचायत के पोखरों/तालाबों, कुओं, जलाशयों या किसी अन्य खुदाई कार्य से प्राप्त मुरूम को हटाने/परिवहन करने की अनुमति छ.गौ.ख.नियम के नियम 59(1) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

जि.ख.अ. के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ खानों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान (अक्टूबर 2020 और अगस्त 2021 के मध्य) लेखापरीक्षा ने रिको गांव, नवा रायपुर और मूरा–तिल्दा क्षेत्र (जि.ख.अ., रायपुर) के पास वैध अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना विशाल मात्रा में मुरूम के निकासी और डंपिंग देखा **(चित्र– 3.4 (क) एवं (ख))**।

[4] संयुक्त भौतिक सत्यापन में देखे गये नवा रायपुर में एक अवैध मुरूम उत्खनन स्थल, रायपुर जिले की एक रेत खदान और चूना पत्थर की पांच खदानें।

चित्र–3.4 (क): ग्राम रिको, नवा रायपुर के समीप अनाधिकृत मुरूम उत्खनन (फोटो दिनांकः अक्टूबर 2020)।

चित्र–3.4 (ख): ग्राम रिको, नवा रायपुर के समीप अनाधिकृत मुरूम उत्खनन (फोटो दिनांकः अक्टूबर 2020)।

लेखापरीक्षा ने तकनीकी सलाहकार की सहायता से नवा रायपुर में अवैध मुरूम उत्खनन स्थल का ड्रोन सर्वेक्षण कराया। जि.ख.अ. रायपुर के उत्तर के अनुसार यह देखा गया कि वर्ष 2015–16 से 2020–21 की अवधि में सड़क निर्माण कार्य (एन.एच. 200) में उपयोग हेतु मुरूम उत्खनन के मात्र तीन अनुज्ञापत्र[5] दो वर्ष के लिए (06.12.2016 से 05.12.2018 तक) स्वीकृत किए गए थे। उत्खनन अनुज्ञा के स्वीकृत क्षेत्र ग्राम– नकटीखपरी, तहसील– तिल्दा (जिला– रायपुर) में स्थित थे। तकनीकी सलाहकार की रिपोर्ट से पता चला कि अवैध उत्खनन का कुल क्षेत्रफल 38,867.2 वर्ग मीटर था (**चित्र– 3.5** में 1,2,3 के रूप में दर्शाया गया है) जिसमें वैध अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना

[5] मे. पुंज लोएड, रायपुर

लगभग 99,528.78 घ.मी. मुरूम की खुदाई की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप शासन को प्रचलित रायल्टी का मूल्य ₹ 49.76 लाख[6], के राजस्व की हानि हुई।

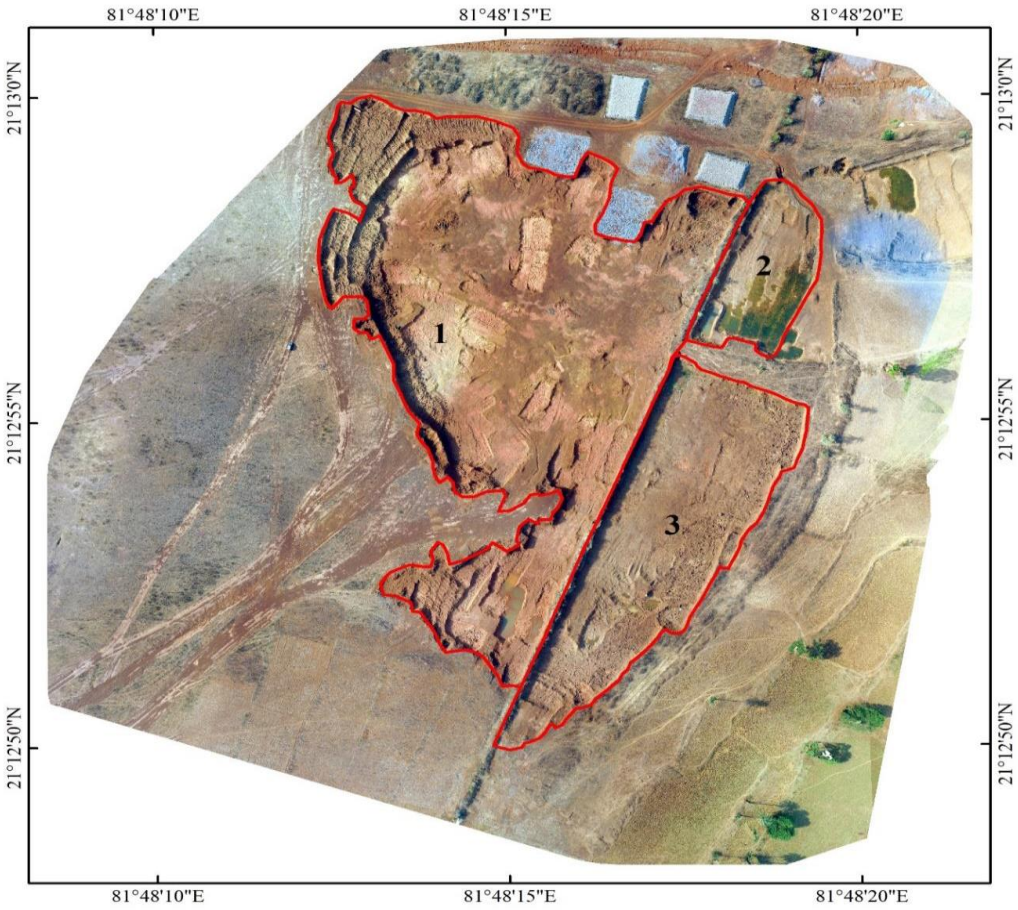

चित्र–3.5: रिको गांव, नवा रायपुर में अवैध मुरूम उत्खनन (ऊपर चित्र में 1, 2 और 3 के रूप में दर्शाया गया है) का ड्रोन चित्र (फोटो दिनांकः मई 2022)

3.1.3 (ii) रेत का अवैध उत्खनन

जि.ख.अ. के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ खानों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर–चांपा और मुंगेली जिलों में स्वीकृत/अनुमत पट्टा क्षेत्रों के बाहर रेत के उत्खनन, परिवहन एवं डंपिंग देखा।

लेखापरीक्षा ने जि.ख.अ., रायपुर के अंतर्गत कुम्हारी के रेत खदान का ड्रोन सर्वेक्षण कराया। विभाग द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के प्रारंभ होने के पश्चात जि.ख.अ. द्वारा कुम्हारी में वर्ष 2019–21 की अवधि में केवल एक ही रेत खदान पट्टा स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत रेत खदान के खनन योजना में स्वीकृत निर्देशांकों का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वेक्षण कराया गया। तकनीकी सलाहकार की रिपोर्ट के अनुसार, स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के बाहर बड़े क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया गया था। उसमें से 5,759.45 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ड्रोन कैमरे के माध्यम से मात्रा गणना के लिए कैद किया गया था, जिसमें देखा गया कि लगभग 2,958.04 घ.मी. रेत का अवैध उत्खनन किया गया था, जैसा कि **चित्र– 3.6 एवं 3.7** में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 1.48 लाख[7], प्रचलित रायल्टी का मूल्य, के राजस्व की हानि हुई।

[6] रायल्टी =₹ 50 x 99528.78 घ.मी. = ₹ 49,76,439

[7] रायल्टी = ₹ 50 x 2958.04 घ.मी. = ₹ 1,47,902।

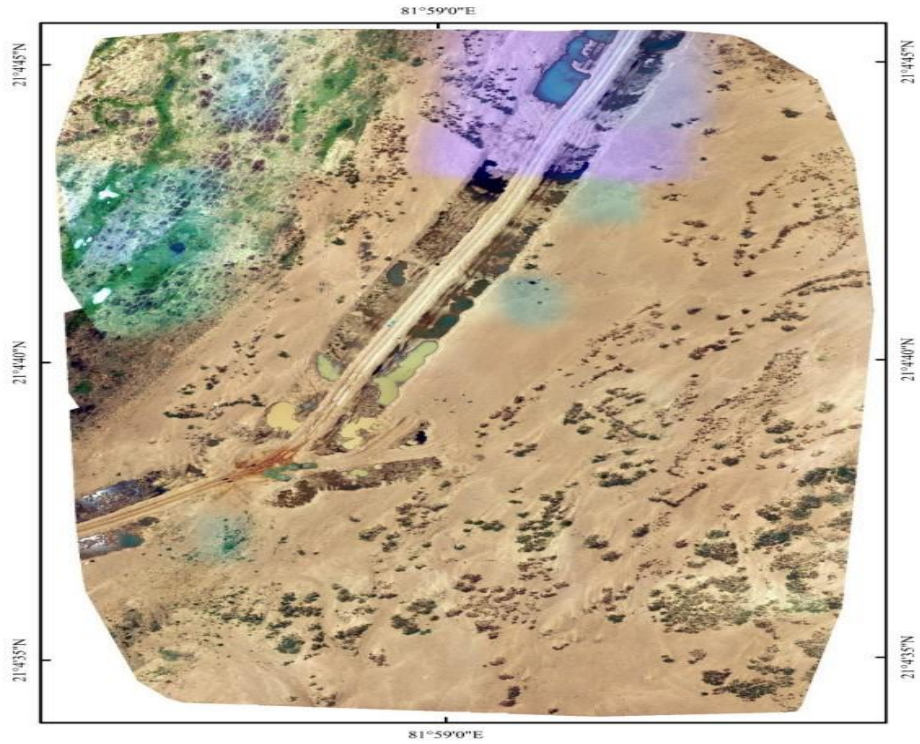

चित्र–3.6: आबंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर रेत उत्खनन को दर्शाता ड्रोन चित्र (कुम्हारी, खसरा क्रमांक 1882, फोटो दिनांकः मई 2022)

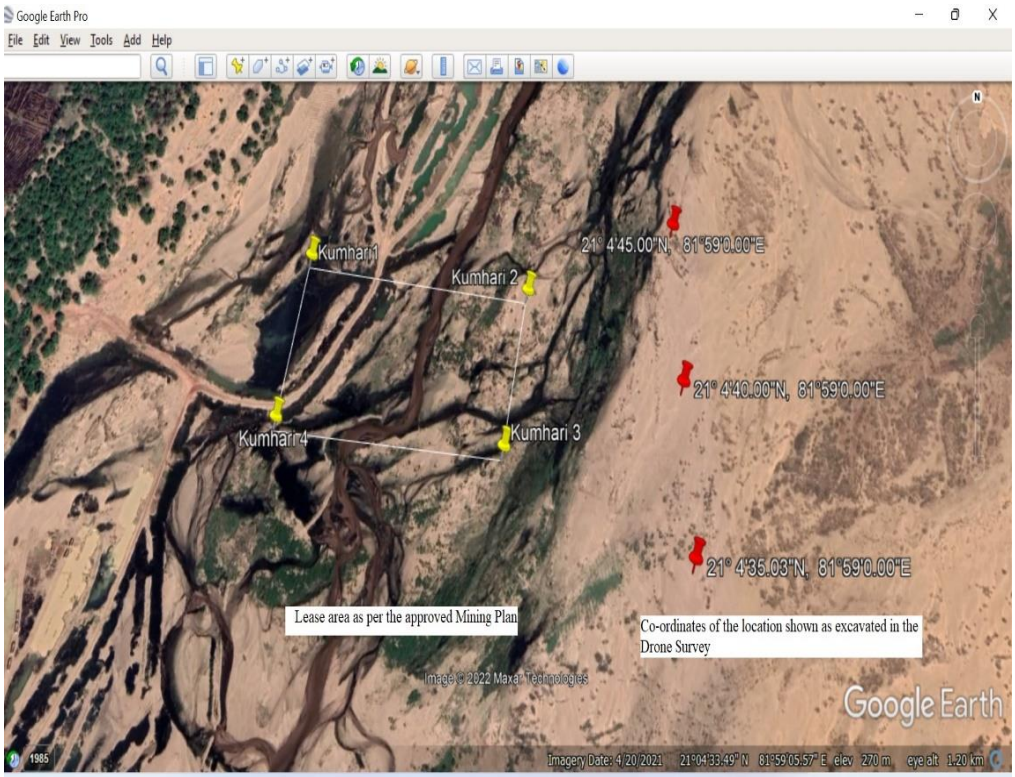

पिन	कुम्हारी 1	कुम्हारी 2	कुम्हारी 3	कुम्हारी 4
अक्षांश	21°04'43.99"N	21°04'42.84"N	21°04'38.11"N	21°04'38.96"N
देशांतर	81°58'44.26"E	81°58'53.62"E	81°58'52.59"E	81°58'43.31"E

चित्र–3.7: कुम्हारी, रायपुर, खसरा संख्या 1882, क्षेत्रफल– 4 हेक्टेयर, पट्टा अवधि– 30.12.2019 से 29.12.2021, में रेत खदान के स्वीकृत पट्टा क्षेत्र एवं पटटा क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन को दर्शाने वाला चित्र।

3.1.3 (iii) चूना पत्थर उत्खनन पट्टों के स्वीकृत निर्देशांक के बाहर उत्खनन कार्य

लेखापरीक्षा ने जि.ख.अ., रायपुर के अंतर्गत पांच चूना पत्थर उत्खनन पट्टा स्थलों का ड्रोन सर्वेक्षण कराया।

धनसुली, नरदहा एवं अकोलडीह–खपरी, तहसील– आरंग, जिला– रायपुर में चूना पत्थर उत्खनन पट्टों हेतु तकनीकी सलाहकार की रिपोर्ट से निम्नानुसार ज्ञात हुआ :

- धनसुली में उत्खनन पट्टे के मामले में, पट्टेदार को खसरा संख्या 818, 870 एवं 871 (नवीन 913, 926, 927) में 1.19 हेक्टेयर[8] में (**चित्र–3.8** में बीच में लाल सीमा, वैध उत्खनन के रूप में वर्णित) उत्खनन पट्टा आबंटित किया गया था। हालांकि यह देखा गया कि स्वीकृत निर्देशांक के बाहर 15,831 वर्ग मीटर (1.583 हे.) क्षेत्र से (पीले रंग में चिन्हित) लगभग 57,750.27 घ.मी. चूना पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 68.96 लाख[9], प्रचलित रायल्टी का मूल्य, की राजस्व हानि हुई।

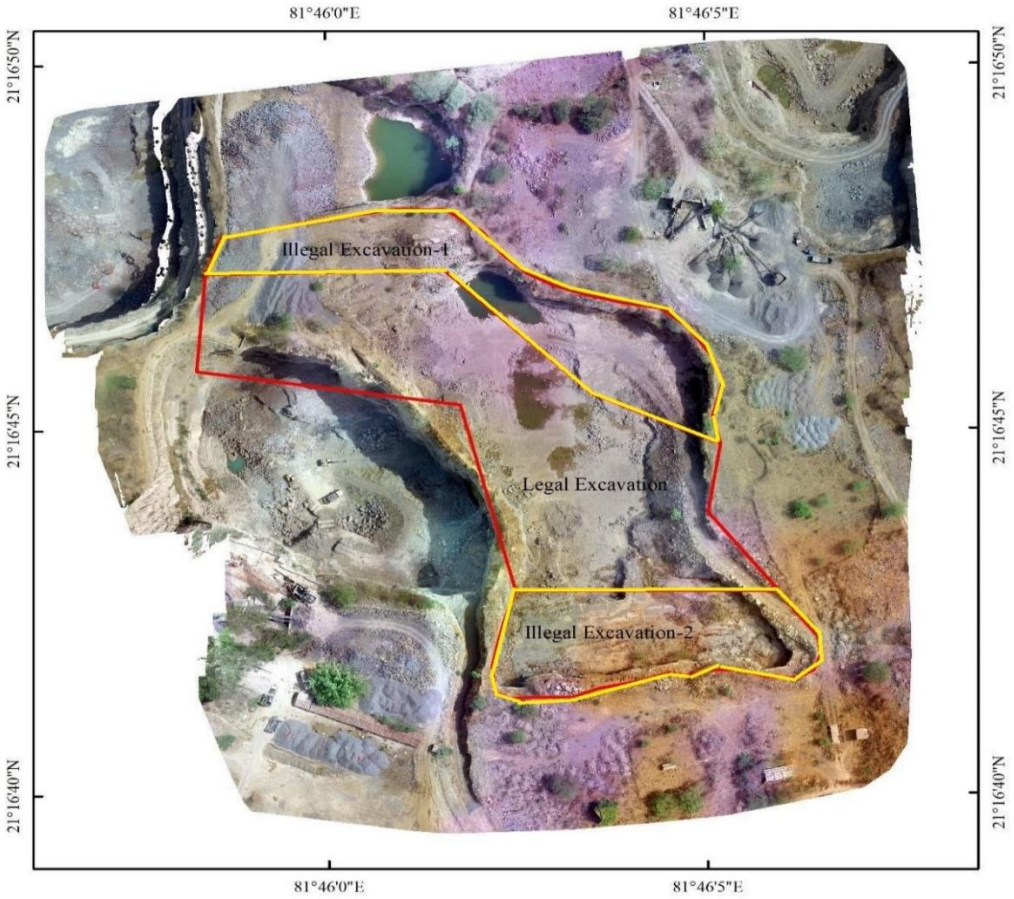

चित्र–3.8: उत्खनन पट्टा सीमा और पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन को दर्शाता ड्रोन चित्र (ग्राम–धनसुली, तहसील– आरंग, फोटो दिनांकः मई 2022)

- नरदहा में उत्खनन पट्टे के मामले में, पटटेदार को खसरा संख्या 1997 (आंशिक) में 1.214 हेक्टेयर[10] में उत्खनन पट्टा आबंटित किया गया था, जिसमें से लगभग 0.37 हेक्टेयर[11] का अन्वेषण नहीं किया गया था। हालांकि यह देखा गया कि

[8] उत्खनन– 0.748, डंपिंग– 0.265, वैधानिक सीमा– 0.040, एवं वृक्षारोपण– 0.059।

[9] 0.67 घ.मी. = 1 टन; 57,750.27 घ.मी. = 86,194 टन; रायल्टी = ₹ 80 x 86,194 टन = ₹ 68,95,520।

[10] उत्खनन– 0.821, एवं डंपिंग– 0.393

[11] रा.प्रौ.सं. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर गूगल अर्थ प्रो का उपयोग करके गणना की गई।

स्वीकृत निर्देशांक के बाहर 13,892 वर्ग मीटर (1.389 हे.) क्षेत्र से लगभग 76,076.14 घ.मी. चूना पत्थर का अवैध उत्खनन (काले रंग में चिन्हित) किया गया था, जैसा कि **चित्र–3.9** में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 90.84 लाख[12], प्रचलित रायल्टी का मूल्य, की राजस्व हानि हुई।

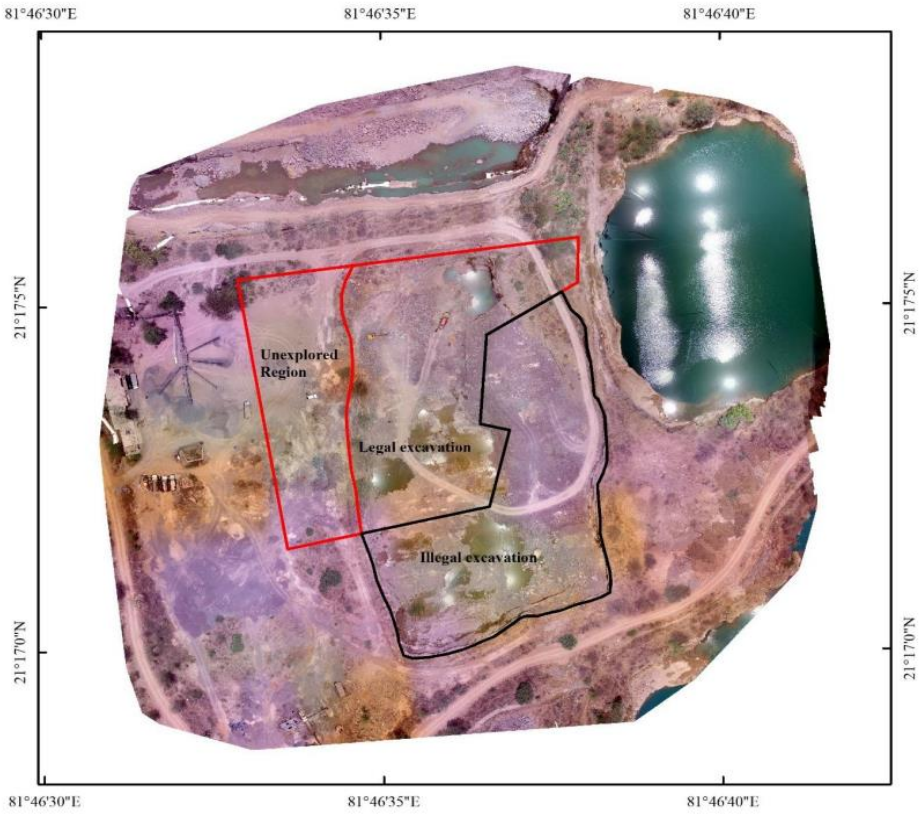

चित्र–3.9: उत्खनन पट्टा सीमा और पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन को दर्शाती ड्रोन चित्र (नरदहा,तहसील– आरंग, जिला– रायपुर, फोटो दिनांकः मई 2022)

- अकोलडीह–खपरी, तहसील– आरंग के उत्खनन पट्टा के मामले में, पट्टेदार को खसरा संख्या 553/1 (आंशिक) में 1.052 हेक्टेयर[13] में उत्खनन पट्टा आबंटित किया गया था, जिसमें से लगभग 0.5 हेक्टेयर[14] का अन्वेषण नहीं किया गया था। हालांकि, स्वीकृत निर्देशांक के बाहर 11,195 वर्ग मीटर (1.120 हे.) क्षेत्र से लगभग 46,748.71 घ.मी. चूना पत्थर का अवैध उत्खनन (पीले रंग में चिन्हित) देखा गया, जैसा कि **चित्र 3.10** में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 55.82[15] लाख, प्रचलित रायल्टी का मूल्य, की राजस्व हानि हुई।

[12] 0.67 घ.मी. = 1 टन; 76076.14 घ.मी. = 1,13,546 टन; रायल्टी = ₹ 80 x 1,13,546 टन = ₹ 90,83,680।

[13] उत्खनन– 0.407, डंपिंग– 0.135, अस्थायी डंपिंग– 0.207, क्रशिंग प्लांट– 0.100, भण्डारण– 0.05, आधारभूत संरचना– 0.028, एवं अप्रयुक्त क्षेत्र– 0.125।

[14] रा.प्रौ.सं. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर गूगल अर्थ प्रो का उपयोग करके गणना की गई।

[15] 0.67 घ.मी. = 1 टन; 46748.71 घ.मी. = 69,774 टन; रायल्टी = ₹ 80 x 69,774 टन = ₹ 55,81,920।

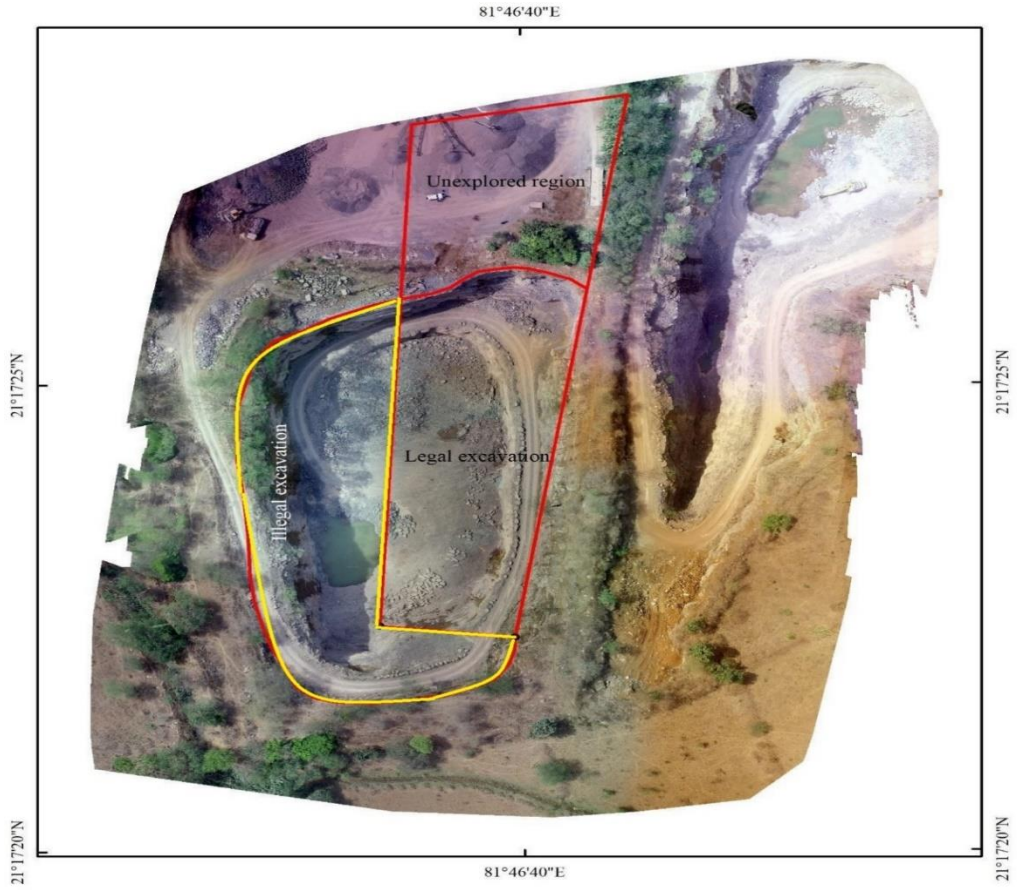

पटटा सीमा के निर्देशांकः

बिंदु संख्या	1	2	3	4
अक्षांश	21°17'29.24"N	21°17'29.38"N	21°17'22.33"N	21°17'22.45"N
देशांतर	81°46'39.11"E	81°46'41.13"E	81°46'39.89"E	81°46'38.72"E

चित्र–3.10: उत्खनन पट्टा सीमा और पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन को दर्शाता ड्रोन चित्र (अकोलडीह–खपरी, तहसील– आरंग, फोटो दिनांकः मई 2022)

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2022)।

अनुशंसा :

7. विभाग को खनन निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन तक अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने के लिए भौ.सू.प्र./ड्रोन सर्वेक्षण की व्यवहार्यता और उपयोग की जांच करनी चाहिए।

अध्याय IV

रेत खनन में राजस्व के रिसाव पर नियंत्रण

अध्याय IV

रेत खनन में राजस्व के रिसाव पर नियंत्रण

सारांश

- रेत उत्खनन की कमजोर निगरानी के कारण, पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार कुल खनन योग्य मात्रा के मुकाबले पटटेदारों द्वारा प्रतिवेदित की गयी रेत की खुदाई और परिवहन की मात्रा काफी कम थी। स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों के बाहर उत्खनन और रेत परिवहन करने वाले वाहनों में ओव्हरलोडिंग के उदाहरण भी देखे गये जिसके कारण रायल्टी और अन्य देय राशि का अपवंचन हुआ।
- संबंधित रेत खदानों के प्रदान किए जाने के समय से संबंधित पट्टेदारों द्वारा नदी तट पर कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया था एवं रेत उत्खनन के लिए पोक्लेन मशीन का उपयोग प.स्वी. की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था।
- विभाग ने मुरूम की खुदाई के लिए अनुषंगिक कार्य एवं स्थलों पर मुरूम की वास्तविक उपलब्धता की पुष्टि किए बिना नियम 59(1) के अंतर्गत 87.33 लाख घन मीटर मुरूम हटाने के लिए 1,235 परमिट दिए, जिससे परिवहनकर्ताओं द्वारा मुरूम की अवैध खुदाई में मदद मिली।

4.1 रेत खनन का प्रबंधन

छत्तीसगढ़ में रेत खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 (छ.गौ.ख.सा.रे. नियम) एवं इस नियम के पूर्व छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश, 2006 के द्वारा प्रशासित होते हैं। छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश, 2006 द्वारा रेत खदानों के प्रबंधन एवं रायल्टी की वसूली को संबंधित ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायतों/नगरीय निकायों को सौंपा गया था। छत्तीसगढ़ शासन ने पहले के प्रावधानों को छत्तीसगढ़ गौण खनिज राधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 अधिसूचित कर संशोधित किया (अगस्त 2019) एवं रेत खदानों का प्रबंधन खनिज साधन विभाग को सौंपा।

4.1.1 रेत खनन

विभाग ने, अगस्त 2019 में छ.गौ.ख.सा.रे. नियम अधिसूचित करने के पश्चात, 245 रेत खदानों के लिए पटटेदारों के साथ अनुबंध निष्पादित किया, जिसमें से दिसंबर 2020 की स्थिति में 221 रेत खदान संचालित थे। छ.गौ.ख.सा.रे. नियम ने संबंधित रेत खदानों को उपलब्ध/पर्यावर्णीय स्वीकृति के आधार पर अनुमत मात्रा एवं नियत रायल्टी की राशि ₹ 50 के लिए, जिला स्तरीय समिति[1] द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य/नीलामी शुल्क (प्रति घन मीटर) के विरूद्ध रिवर्स नीलामी पद्धति के माध्यम से खदान पट्टे के अनुदान के लिए प्रावधानित किया।

लेखापरीक्षा ने नौ चयनित जिला कार्यालयों में देखा कि वर्ष 2019–21 के दौरान विभिन्न पट्टेदारों के पक्ष में ₹ 45 से लेकर ₹ 56 प्रति घन मीटर तक की नीलामी राशि के विरूद्ध 102 रेत खदान स्वीकृत किए गए थे। इस संबंध में, खनन योग्य मात्रा का आंकलन

[1] जिला कलेक्टर द्वारा गठित

पटटेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र में रेत की मोटाई के आंकलन, जो जिला खनि अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होता है, के आधार पर संबंधित जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। पर्यावरण स्वीकृति सामान्यतः दो वर्षों के लिए प्रदान किया गया था जिसमें प्रति वर्ष अधिकतम उत्खनन किये जाने वाले रेत की मात्रा निर्दिष्ट किया गया था।

(क) लेखापरीक्षा परीक्षण में पाया गया कि 79 स्वीकृत रेत खदानों में, पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार एक/दो वर्ष[2] हेतु कुल खनन योग्य मात्रा 53.05 लाख घन मीटर थी। हालांकि, संबंधित अवधि हेतु जारी किये गये पारगमन पास में पटटेदारों द्वारा प्रतिवेदित कुल खनित मात्रा मात्र 10.71 लाख घ.मी. थी (अर्थात कुल खनन योग्य मात्रा का मात्र 20.19 प्रतिशत) (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4** में दर्शाया गया है)। इस प्रकार, पट्टेदारों द्वारा प्रतिवेदित उत्खनन एवं परिवहन की मात्रा पर्यावरण स्वीकृति अनुसार कुल खनन योग्य मात्रा से काफी कम थी। लेखापरीक्षा ने सात जिलों के 34 रेत खदानों का स्थल निरीक्षण किया। बलौदाबाजार जिले के रेत खनन स्थलों (हरदी–I, खसरा न. 1435) के स्थल निरीक्षण में यह पाया गया कि रेत की मात्रा का इस सीमा तक उत्खनन किया जा चुका था कि वहां पर कृषि कार्य प्रारंभ कर दिए गये थे, जैसा दिये गये निम्न **चित्र–4.1** में दिखाई दे रहा है।

चित्र–4.1: स्थल में कृषि कार्य गतिविधियां (बलौदाबाजार जिला, फोटो दिनांकः जनवरी 2021)

[2] जाँजगीर–चाँपा जिले के अंतर्गत 24 रेत खदानों में दो वर्ष के लिए तथा छः जिलों के अंतर्गत 55 रेत खदानों में एक वर्ष के लिए कुल खनन योग्य मात्रा की गणना की गई है।

(ख) लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का कोई सीमांकन नहीं था, वास्तविक रूप से आबंटित क्षेत्र से असामान्य रूप से बड़े क्षेत्रों[3] में उत्खनन गतिविधि पायी गयी, रेत के परिवहन का कार्य पिट पास/रायल्टी पेड पास के बजाय खुदरा नगद रसीद[4] पर किया जा रहा था, पर्यावरण स्वीकृति के शर्तों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य[5] पोकलेन मशीनों[6] से किया जा रहा था। अनेक स्थलों पर पटटेदारों के स्टाफ द्वारा प्रेषण पंजी, पुराने रायल्टी पास, तथा नगद/धन रसीद इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जा सका। आगे, यह भी देखा गया कि कुछ पट्टा क्षेत्र के समीप अन्य पार्टियों[7] द्वारा खनन कार्य किया जा रहा था, जो मुख्यतः खनि अधिकारियों के सतत पर्यवेक्षण में कमी के कारण इन अधिकारियों की संभावित मिलीभगत का सूचक था।

चित्र–4.2: स्थल पर पोक्लेन मशीन का उपयोग (बलौदाबाजार जिला, फोटो दिनांकः जनवरी 2021)

(ग) रेत उत्खनन पट्टे के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त–15 के अनुसार, पट्टेदारों को मृदा क्षरण को रोकने के लिए नदी किनारे पट्टा क्षेत्र में 200 से 300 पेड़ प्रति हेक्टेयर पौधारोपण करना आवश्यक है।

तथापि, स्थल निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित पट्टेदारों द्वारा, पट्टा स्वीकृति पश्चात (अर्थात वर्ष 2019 एवं 2020 के दौरान) नदी तट पर कोई पौधारोपण नहीं किया गया था, जो पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन था (**चित्र–4.3**)।

चित्र–4.3: पौधारोपण न किया जाना (बलौदाबाजार जिला, फोटो दिनांकः जनवरी 2021)

[3] रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर और जाँजगीर–चाँपा
[4] बिलासपुर
[5] रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर और जांजगीर–चांपा
[6] विकीपीडिया के अनुसार पोक्लेन मशीन 360 डिग्री घूमने वाला उत्खनन यंत्र है।
[7] बलौदाबाजार और बिलासपुर

(घ) यह भी देखा गया कि जिला खनि प्राधिकारी, हाईवा/डम्पर के मानक वहन क्षमता 14.00 से 15.00 घ.मी. के विरूद्ध 10.00 घ.मी./12.00 घ.मी. की मात्रा[8] के लिए रायल्टी पेड पास जारी कर रहे थे (अम्बिकापुर को छोड़कर, जहाँ 10 से 15 घ.मी. के लिए पिट पास जारी किये गये थे), जबकि ये वाहन उनके मानक वहन क्षमता से भी ज्यादा मात्रा वहन करते पाए गए थे (अर्थात ऑव्हरलोडिंग) (**चित्र 4.4 (क) एवं (ख)**)। इस प्रकार, पट्टेदार इन हाईवा से परिवहन कर प्रति ट्रिप कम से कम 3.00 घ.मी. रेत की रायल्टी एवं अन्य शुल्क का अपवंचन कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप शासन को कम से कम प्रति ट्रिप राशि ₹ 315.00[9] के राजस्व का क्षरण हुआ।

चित्र–4.4 (क): मानक वहन क्षमता से अधिक ऑव्हरलोडिंग (बिलासपुर जिला, फोटो दिनांकः जनवरी 2021)

चित्र–4.4 (ख): मानक वहन क्षमता से अधिक ऑव्हरलोडिंग (बिलासपुर जिला, फोटो दिनांकः जनवरी 2021)

विभाग द्वारा रेत खनन कार्य की उचित निगरानी के अभाव के कारण, पट्टेदारों द्वारा उत्खनित/परिवहित रेत की मात्रा कम प्रतिवेदित किये जाने से राजस्व का अपवंचन हुआ एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन किया गया।

शासन ने कहा (अपैल 2022) कि रेत खदानों से रेत की प्रेषित की मात्रा पर रायल्टी आरोपण योग्य है। बाजार की मांग के अनुसार रेत की मात्रा का प्रेषण किया गया।

[8] अलग–अलग जिलों में अलग–अलग पद्धति अपनायी जा रही थी।

[9] रायल्टी प्रति घ.मी. = ₹ 50, औसत नीलामी राशि प्रति घ.मी. = ₹ 50, डी.एम.एफ. अंशदान प्रति घ.मी. = ₹ 5 (अर्थात रायल्टी की राशि का 10 प्रतिशत), राजस्व अपवंचन प्रति ट्रिप = ₹ 105 x 3 घ.मी. = ₹ 315।

पर्यावरण स्वीकृति में प्रेषण हेतु अधिकतम रेत की मात्रा का निर्धारण किया गया था, रेत के न्यूनतम प्रेषण की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर खनि अधिकारियों द्वारा रेत खनन कार्य की खराब निगरानी के मुद्दे पर मौन है।

अनुशंषाएं :

8. *शासन को सतत रेत खनन व्यवहारों को अपनाना चाहिए एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों तथा नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु रेत खनन गतिविधियों की नियमित निगरानी के लिए निर्देश जारी करना चाहिए।*

9. *रेत परिवहन के दौरान पिट पास/ रायल्टी पेड पास का उपयोग नहीं करने के मामलों में शासन को शास्ति अधिरोपित करने पर विचार करना चाहिए।*

4.1.2 अवैध रूप से उत्खनित मुरूम की भारी मात्रा के परिवहन के लिए निकास अनुज्ञापत्र प्रदान करना

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 59(1) के अनुसार (खुदाई कार्य के दौरान प्राप्त गौण खनिज के निपटारे के लिए अनुमति), पंचायत के पोखरों/तालाबों, कुएँ, जलाशय अथवा अन्य खुदाई कार्यों से प्राप्त होने वाले ऐसे गौण खनिजों को हटाने और उपयोग करने के लिए कलेक्टर अनुमति देगा। इसके अतिरिक्त, नियम 58(1) के अनुसार, अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट किसी खनिज (मिटटी, मुरूम, आदि) को जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य शासन कि किसी विभाग अथवा उपक्रम के कार्यों के लिए आवश्यक हो, किसी भूमि विशेष से, उत्खनन, निकास और परिवहन के लिए कलेक्टर उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करेगा।

जिला खनि अधिकारियों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015–16 से 2020–21 के दौरान, नियम 58(1) के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु मुरूम उत्खनन के केवल तीन अनुज्ञापत्र जिला खनि अधिकारी, रायपुर द्वारा प्रदान किया गया था, एवं अन्य चयनित जिलों में कलेक्टरों के द्वारा कोई अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित जिलों के कलेक्टरों ने नियम 59(1) के अंतर्गत 87.33 लाख घ.मी. मुरूम (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 5** में दर्शाया गया है) के निकास हेतु 1,235 निकास अनुज्ञापत्र इस आधार पर प्रदान किया कि उक्त मुरूम के ढेर पंचायत के पोखरों/तालाबों, कुएँ, जलाशय (के गहरीकरण या चौड़ीकरण) अथवा अन्य खुदाई कार्यों से प्राप्त हुए थे। उक्त अनुज्ञापत्र पंचायत प्रस्ताव एवं खनि निरीक्षकों के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर प्रदान किया गया था। निकास अनुज्ञापत्र से संबंधित कुल 1,235 प्रकरणों में से 140 प्रकरणों के अभिलेखों के निरीक्षण में पाया गया कि अनुज्ञापत्र, स्थल पर मुरूम की कुल मात्रा की उपलब्धता का सत्यापन किये बिना जारी किये गये थे। साथ ही, जिला खनि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में, स्थल पर मुरूम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक साक्ष्य के रूप में, संबंधित स्थल के फोटोग्राफ भी नहीं पाये गये। ग्राम पंचायतों द्वारा जारी निकास प्रस्ताव की सत्यता परीक्षण हेतु लेखापरीक्षा ने 10 ग्राम पंचायतों, जिन्होंने 32 विभिन्न स्थलों पर मुरूम परिवहन हेतु प्रस्ताव पारित किये थे, का दौरा किया। ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदाय किये गये उत्तरों के परीक्षण में पाया गया कि 10 में छः ग्राम पंचायतों ने पंचायत/शासकीय तालाबों के गहरीकरण/चौड़ीकरण से प्राप्त मुरूम के परिवहन हेतु प्रस्ताव पारित किया था। तथापि, गहरीकरण/चौड़ीकरण से संबंधित सहायक अभिलेख जैसे प्रशासनिक/तकनीकि स्वीकृति, कार्यादेश, माप पुस्तिका एवं श्रमिकों को किये गये भुगतान का विवरण आदि, का न ही संधारण किया गया था और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। आगे, परीक्षण में पाया गया कि पंचायत प्रस्ताव संबंधित सदस्यों/सचिव/सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने दस स्थलों का, जहॉ निकास अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे, का भी दौरा किया लेकिन संबंधित स्थलों पर स्वीकृत गतिविधियों से बने मुरूम के ढेर नहीं पाया। चार स्थलों[10] पर, दौरा के समय परिवहनकर्ता मुरूम उत्खनन करते पाये गये, दो स्थलों[11] पर, स्वीकृत स्थल पर मुरूम के ढेर नहीं पाये गये, एवं अन्य तीन स्थलों[12] पर निजी भूमि पर गड्ढ़े पाये गये लेकिन आवेदन के दावे अनुसार कोई ढेर नहीं पाया गया **(चित्र– 4. 5 (क) एवं (ख))**। यह इंगित करता है कि खनि निरीक्षकों द्वारा तैयार किये गये स्थल सर्वेक्षण प्रतिवेदन, स्थल पर मुरूम की वास्तिविक उपलब्धता के सत्यापन द्वारा समर्थित नहीं थे। इस प्रकार स्थल सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जारी किये गये निकास अनुज्ञापत्र ने परिवहनकर्ताओं को मुरूम के अवैध उत्खनन करने में सुविधा प्रदान किया।

अतः इस तरीके से मुरूम निकास अनुज्ञापत्र जारी किया जाना, मुरूम के खदान अनुज्ञापत्र प्राप्त करने की आवश्यकता को दरकिनार करने का साधन साबित हुआ।

चित्र– 4.5 (क): मुरूम उत्खनन स्थल (फोटो दिनांकः अक्टूबर 2020)

चित्र–4.5 (ख): मुरूम उत्खनन स्थल (फोटो दिनांकः फरवरी 2021)

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि तालाब गहरीकरण, कृषि भूमि के समतलीकरण या निर्माण कार्यों के नींव से प्राप्त गौण खनिजों के परिवहन के लिए नियम 59 के अंतर्गत

[10] दुर्ग के दो स्थल तथा रायपुर के दो स्थल
[11] रायपुर के एक स्थल और मुंगेली के एक स्थल
[12] मुंगेली के एक स्थल तथा कवर्धा के दो स्थल

अनुमति प्रदान किये गये थे। आवेदकों ने खनिजों की मात्रा के लिए रायल्टी एवं अन्य शुल्क के भुगतान कर पारगमन पास प्राप्त किया था। उक्त नियम के अंतर्गत, खनि निरीक्षकों ने स्थल निरीक्षण कर खनिज की मात्रा का आंकलन किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने आवेदनों में उल्लेखित कारणों से संबंधित स्थल पर मुरूम की वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना परिवहन परमिट जारी किया था।

अनुशंसा :

10. विभाग को अवैध मुरूम उत्खनन को रोकने के लिए मुरूम परिवहन के लिए निकास अनुज्ञा पत्र जारी करने की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए।

अध्याय V
जिला खनिज संस्थान न्यास (जि.ख.सं.न्या.)

अध्याय V

जिला खनिज संस्थान न्यास (जि.ख.सं.न्या.)

सारांश

- छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के सभी 27 जिलों में जि.ख.सं.न्या. की स्थापना की है (दिसंबर 2015)। जि.ख.सं.न्या. ने खनन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने में देरी की (17 से 50 महीने तक की देरी), और खनन प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करने और सूची तैयार करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरुप वांछित लाभार्थियों को लाभों के अंतरण में विलंब हुआ और जि.ख.सं.न्या. के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया।
- जि.ख.सं.न्या. को प्राप्त अंशदान को बैंक खातों में रखा गया था। बैंक खतों में स्वीप/फ्लेक्सी जमा सुविधा न लेने के कारण ₹ 24.87 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
- शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर ₹ 14.94 करोड़ का व्यय किया गया तथा पॉच जि.ख.सं.न्या. में, 147 पूर्ण एवं रद्द कार्यो के विरुद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों से ₹ 8.00 करोड़ की वसूली प्रारंभ नही की गई। कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों/ठेकेदारों के पास ₹ 219.31 करोड़ की निधि अवरुद्ध थी।
- जि.ख.सं.न्या. की गतिविधियों की निगरानी कमजोर थी, क्योंकि कोई भी जि.ख.सं.न्या. शासी परिषद/प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों का नियमित आयोजन और मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज, बजट और वार्षिक योजना, तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक रिपोट की समय पर तैयारी सुनिश्चित नहीं कर सका।
- मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज/वार्षिक योजना के अभाव में खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के विकास हेतु न्यास की गतिविधियों को नियोजित तरीके से नहीं चलाया जा सका।

5.1 जि.ख.सं.न्या. का परिचय

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9 (बी), 15(4) और 15 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ शासन (छ.शा.) ने छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम, 2015 बनाया और प्रदेश के सभी 27 जिलों[1] में जि.ख.सं.न्या. की स्थापना की (दिसंबर 2015)। जि.ख.सं.न्या. का उद्देश्य राज्य के भीतर खनन/खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए काम करना है। जि.ख.सं.न्या. में दो स्तरीय प्रशासनिक संरचना हाती है, जिसमें एक शासी परिषद (शा.प.) और एक प्रबंधकारणी समिति (प्र.स.) है। जि.ख.सं. न्या. नियम, 2015 के अनुसार शासी परिषद की जिम्मेदारी[2] जि.ख.सं.न्या. के कामकाज के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना, जि.ख.सं.न्य. द्वारा लिए गए कार्यों की स्वीकृति प्रदान

[1] फरवरी 2020 में एक नया जिला गौरेला–पेंड्रा–मरवाही बनाया गया

[2] जिनका अध्यक्षता संबधित प्रभारी मत्री के द्वारा की जाती है

करना/समीक्षा करना, न्यास के वार्षिक कार्य योजना/वार्षिक बजट की स्वीकृति प्रदान करना, आदि है जबकि जि.ख.सं.न्या. के मामलों में प्रबंधन दैनन्दिन आधार पर प्रंबधकारिणी समिति द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं जो समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जि.ख.सं.न्य. का संगठनात्मक ढांचा **चार्ट–4** में दिया गया है।

जि.ख.सं.न्या. की संगठनात्मक संरचना: चार्ट 4

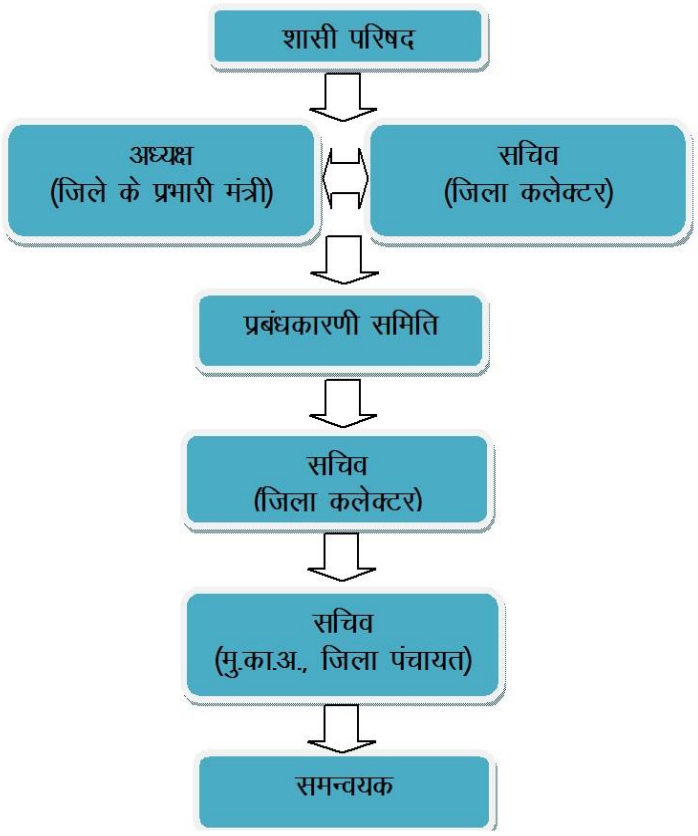

5.2 जि.ख.सं.न्या. के तहत निधि का संग्रहण, प्रबंधन और उपयोग

जि.ख.सं.न्या. नियम, 2015 के नियम 19 एवं 20 के अनुसार न्यास की प्रबंधकारिणी समिति अंशदान निधि एवं न्यास निधि का संधारण करेगी।

अंशदान निधि में मुख्य खनिज के मामले में खनन पट्टा या संयुक्त लाईसेंस या जिले में गौण खनिजों के मामले में खनन/उत्खनन पट्टा/उत्खनन परमिट/समग्र लाइसेंस धारकों से अंशदान के माध्यम से प्राप्त निधि शामिल है। न्यास निधि में राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा तय किए गए अंशदान निधि का हिस्सा, व्यस्थापक द्वारा किया गया प्रारंभिक समझौता, व्यवस्थापक या किसी अन्य एजेंसी/व्यक्ति से कोई अंशदान या सहायता और अन्य जमा और उस पर अर्जित ब्याज और न्यास की अन्य सभी संपत्तियों से प्राप्त आय शामिल है।

वर्ष 2015–16 से 2020–21 अवधि के दौरान चयनित नौ जिलों की न्यास निधि में निधियों के प्रवाह का विवरण **तालिका– 5.1** में दिया गया है।

तालिका– 5.1: न्यास निधि में उपलब्ध धनराशि और जारी की गई राशि का विवरण (2015–16 से 2020–21)

(₹ करोड़ में)

स. क.	जि.ख.सं.न्या. का नाम	प्राप्त कुल निधि	कार्यों के लिए स्वीकृत कुल निधि	31 मार्च 2021 तक जारी की गई निधि	31 मार्च 2021 तक का व्यय	उपयोगिता का प्रतिशत
1	दुर्ग	165.60	161.80	127.47	107.96	65
2	मुंगेली	25.36	22.86	22.86	15.06	59
3	कवर्धा	38.03	35.09	28.19	उपलब्ध नहीं	.
4	रायपुर	124.71	107.70	91.84	91.84	74
5	बलौदाबाजार	306.01	210.42	156.73	154.80	51
6	बिलासपुर	406.55	300.78	203.77	203.77	50
7	जांजगीर–चांपा	507.17	520.72	412.24	412.24	81
8	कांकेर	217.91	192.03	119.13	119.13	55
9	अंबिकापुर	127.50	115.34	103.99	103.99	82
कुल / औसत		**1918.84**	**1666.74**	**1266.22**	**1208.79**	**63**

*(स्रोतः जि.ख.सं.न्या. द्वारा दी गई जानकारी से संकलित)(**परिशिष्ट 6** में वर्षवार विवरण दिया गया है)*

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि, जि.ख.सं.न्या. बिलासपुर में न्यूनतम (50 प्रतिशत) एवं जि.ख.सं.न्या. अंबिकापुर में उच्चतम (82 प्रतिशत) के साथ चयनित जि.ख.सं.न्या. में निधियों का औसत उपयोग 63 प्रतिशत (कवर्धा जिले को छोड़कर) था। इसके अलावा, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राज्य के 28 न्यास निधियों में ₹ 6,179.56 करोड़ की राशि प्राप्त हुई; जिसमें से ₹ 4,637.20 करोड़ (75 प्रतिशत) 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान खर्च किए गए।

5.2.1 स्वीप/फ्लेक्सी जमा सुविधा का लाभ न लेने के कारण ब्याज की हानि

जि.ख.सं.न्या. नियम, 2015 के नियम 21 के अनुसार न्यास निधि, ऐसी सार्वजनिक निधि रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैक द्वारा अनुमोदित एक या अधिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में केवल न्यास के नाम पर ही रखी जावेगी। प्रबंधकारणी समिति की शक्ति और कार्यों के तहत (नियम 15) यह उल्लेख किया गया है कि न्यास निधि का संचालन करने और उसे सर्ततापूर्वक से निवेश करने के लिए प्रबंधकारणी समिति जिम्मेदार होगा।

खनिज साधन विभाग ने विनिर्दिष्ट किया (नवम्बर 2015) कि प्रत्येक जिले में दो पृथक खाते अंशदान निधि और न्यास निधि प्रत्येक के लिए एक अनुसूचित बैंक में संधारित किये जाएंगे। संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म ने प्रत्येक जिले में की जि.ख.सं.न्या. के लिए चालू खाते के स्थान पर बचत बैंक खाते खोलने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बचत खाते खोलते समय किसी भी जि.ख.सं.न्या. ने बचत बैंक खातों हेतु उपलब्ध ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी जमा/बहु विकल्प जमा खाता सुविधा का विकल्प नहीं चुना, जो बैंक को ग्राहक के बैंक खाते में एक न्यूनतम शेष राशि से अधिक राशि को स्वतः ही विद्यमान उच्च ब्याज दरों पर सावधि जमा (सा.ज.) में परिवर्तित करने की अनुमति देता है। उपरोक्त सुविधा का लाभ न लेने के परिणामस्वरुप नौ जिलों में जि.ख.सं.न्या. के बचत बैक खातों में कम दरों पर ब्याज

प्राप्त हुआ और 2016–17 से 2020–21[3] की अवधि के दौरान ₹ 24.87 करोड़ की राशि का ब्याज त्यागना पड़ा जैसा, कि **परिशिष्ट 7** में वर्णित है।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि प्रत्येक जि.ख.सं.न्या. में दो बचत बैक खाते खोलने के निर्देश खनिज साधन विभाग[4], छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा जारी किये गये थे तथा उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक जिले में बैंक खाते खोले गए थे। जि.ख.सं.न्या. एक गैर लाभकारी न्यास है जिसका मुख्य उद्देस्य खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए काम करना है न कि संबंधित बैंक खातों में जमा राशि से ब्याज अर्जित करना।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न्यास की प्रबंधकारणी समिति का एक कर्तव्य न्यास निधि का संचालन करना और उसे सतर्कतापूर्वक निवेश करना था, जो कि नहीं किया गया। साथ ही अर्जित ब्याज का उपयोग जि.ख.सं.न्या. द्वारा ही किया जाता।

अनुसंशा :

11. प्रभावी नगदी प्रबंधन के लिए जि.ख.सं.न्या. निधि को विवेकपूर्वक लाभदायक तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए।

5.2.2 शासन के निर्देशों का उल्लघंन करते हुए न्यास निधि से व्यय

जि.ख.सं.न्या. नियम 22(1) के अनुसार न्यासों में उपलब्ध निधियों का उपयोग खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रबंधकारणी समिति द्वारा तैयार की गई और न्यास की शासी परिषद द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया जाएगा। प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (व्यवस्थापक) ने सभी जिला कलेक्टरों को न्यास निधि का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुनिश्चित करने के निर्देश (जुलाई 2016) जारी किए थे जैसा कि नियम 22 के उप नियम (2) और (3) में उल्लिखित है जो कि न्याय निधि का उपयोग करना निर्दिष्ट करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ चयनित जि.ख.सं.न्या. में अवधि 2015–16 से 2020–21 में स्वीकृत कुल 15,687 कार्यों में से राशि ₹ 12.69 करोड़ के 169 कार्य (जैसा विवरण **परिशिष्ट 8** में दिया गया है) सामुदायिक भवनों के निर्माण, मीटिंग हॉल, सरकारी कार्यालयों के लिए फर्नीचर/उपकरण/फोटोकॉपियर/एयर कंडीशनिंग की खरीद के किए गए थे। इन कार्यों की प्रकृति नियम 22 में निर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता/अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित नहीं है और इसलिए खनन/खनन संबंधित गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों/क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि कांकेर जिले में अधिसूचित प्रभावित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए राशि ₹ 2.25 करोड़ मूल्य के 31 कार्य स्वीकृत किए गए थे।

खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव ने जि.ख.सं.न्या. के नियम 22 के उप–नियम (2) एवं (3) के तहत निर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता वाले और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अलावा न्यास निधि से कार्यों की स्वीकृति के समान मुद्दे उठाए (अपैल 2019) और उल्लेख किया कि इस तरह के कार्यों ने जि.ख.सं.न्या. के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया।

शासन ने कहा (अपैल 2022) कि जि.ख.सं.न्या. नियमों के नियम 22(1) में प्रावधान है कि निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रबंधकारणी समिति द्वारा तैयार एवं न्यास के शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की गई वार्षिक कार्य योजना के

[3] 2015–16 में कोई निधि प्राप्त नहीं हुई।

[4] पत्र कमांक एफ 7–9/2015/12

अनुसार किया जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला प्रबंधकारणी समिति की है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी जिलों में जि.ख.सं.न्या. के कामकाज की पर्यवेक्षण और निगरानी करना सरकार की जिम्मेदारी है।

अनुशंसा :

12. शासन को जि.ख.सं.न्या. नियमों में निर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता/अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर न्यास निधि के सख्ती से उपयोग के लिए निर्देश जारी करना चाहिए।

5.2.3 कार्यान्वयन एजेंसियों से अव्ययित निधियों की वसूली न करना

चयनित नौ जि.ख.सं.न्या. में से पांच[5] में, 2016–17 से 2020–21 की अवधि के दौरान 10,865 कार्य विभिन्न कार्य एजेंसियों[6] को सौपे गए थे। लेखापरीक्षा ने तीन जिलों अर्थात दुर्ग, कवर्धा एवं कांकेर में देखा कि 35 प्रकरणों में ₹ 47 लाख की निधि, जो कार्यों के पूर्ण होने के बाद अव्ययित थी, कार्यान्वयन एजेंसियों से वसूल नहीं की गई। इसके अलावा, कार्यान्वयन एजेंसियों को 112 कार्यों के निष्पादन के लिए राशि ₹ 7.53 करोड़ जारी किए गए थे, जिन्हें बाद में संबंधित जि.ख.सं.न्या. द्वारा रद्द कर दिया गया था। तथापि, निधि एजेंसियों के पास रही और कार्यों के रद्द होने बावजूद अभी तक वसूली नहीं गई।

इस प्रकार, 147 पूर्ण और रद्द किए गए कार्यों के विरूद्ध राशि ₹ 8.00 करोड़ की वसूली कार्यान्वयन एजेंसियों से (जैसा कि **परिशिष्ट 9** में वर्णित है) लंबित थी। जि.ख.सं.न्या. ने उपरोक्त शेष राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

शासन ने कहा (अपैल 2022) कि जि.ख.सं.न्या. नियमावली के नियम 15(9) के अनुसार न्यास निधियों के उपयोग की प्रगति की निगरानी करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधकारणी समितियों की थी। स्वीकृत कार्यों को रद्द करने की स्थिति में जारी की गई राशि की वसूली करना भी प्रबंधकारणी समिति की जिम्मेदारी है।

तथ्य यह है कि अव्ययित निधि कार्यान्वयन एजेंसियों के पास वसूली हेतु लंबित पड़ी थी और प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए जि.ख.सं.न्या. के द्वारा उपयोग नहीं की जा सकी।

5.3 जि.ख.सं.न्या. निधि से कार्यों का निष्पादन

कार्यो का निष्पादन के लिए जि.ख.सं.न्या. ने प्रशासनिक अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की, और निधि जारी की, जबकि कार्यों के निष्पादन की निविदा, अधिनिर्णय और पर्यवेक्षण कार्यान्वयन एजेन्सियों[7] द्वारा किया गया था। वर्ष 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान कुल 15,687 कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें से 1,106 कार्य रद्द कर दिए गए और 11,095 कार्य पूर्ण किए गए, जैसा कि **तालिका– 5.2** में दर्शाया गया है।

[5] दुर्ग, कांकेर, कर्वधा, बलौदाबाजार एवं बिलासपुर

[6] सरकारी विभाग, एजेंन्सीया और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

[7] संबधित सरकारी विभाग और/या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जिन्हे स्वंय या ठेकेदार के माध्यम से कार्यों के निष्पादन के लिए ट्रास्ट खाते से धन जारी की गया था

तालिका 5.2: वर्ष 2015–16 से 2020–21 के दौरान स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण

वर्ष	स्वीकृत कार्यों का कुल मुल्य (₹ करोड़ में)	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	रद्द किये गये कार्यों की कुल संख्या	किए गये कार्यो की कुल संख्या	पूर्ण किये गये कार्यों की कुल संख्या	अपूर्ण कार्यों की कुल संख्या (सितम्बर 2021 की स्थिति में)
2016–17	279.41	3184	107	3077	2653	**424**
2017–18	519.01	5871	516	5355	4749	**606**
2018–19	286.56	2285	368	1917	1511	**406**
2019–20	189.15	1187	45	1142	822	**320**
2020–21	392.61	3160	70	3090	1360	**1730**
कुल	**1666.74**	**15687**	**1106**	**14581**	**11095**	**3486**

(स्रोतः जि.ख.सं.न्या. द्वारा दी गई जानकारी से संकलित)

**कार्य वर्ष 2016–17 से लिए गये।*

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान किये गये कुल कार्यो में से क्रमशः 424 (13.77 प्रतिशत) एवं 606 (13.31 प्रतिशत) कार्य सितम्बर 2021 तक अपूर्ण थे। विवरण **परिशिष्ट 10** में दिया गया है।

जि.ख.सं.न्या. द्वारा कार्यों की स्वीकृति में लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये प्रमुख कमियों और अनियमितताओं, जैसे कि प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों की पहचान किए बिना कार्यों का किया जाना, और कार्यों के निष्पादन की निगरानी की कमी, आदि की चर्चा अनुगामी पैराग्राफ में की गई है।

5.3.1 खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की पहचान

जि.ख.सं.न्या. का उद्देश्य खनन या खनने संबंधित गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ की रक्षा करना था। जि.ख.सं.न्या. नियम 2015, खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की पहचान जिले में कलेक्टर के द्वारा एवं जिले के बाहर राज्य शासन द्वारा किये जाने हेतु प्रावधानित करता है। जि.ख.सं.न्या. नियम के नियम 6 के तहत जि.ख.सं.न्या. को खनन संबंधित गतिविधियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्रों की एक अद्यतन सूची और खनन प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की एक अद्यतन सूचि तैयार और संधारित करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य शासन ने जनवरी 2016 में 22 जिलों को खनन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था जबकि संबंधित जि.ख.सं.न्या. ने जुलाई 2017 से अप्रैल 2020 के दौरान जिलों के भीतर खनन संबंधी कार्यों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान का कार्य किया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि जि.ख.सं.न्या. ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान किए बिना राशि ₹ 891.67 करोड़ मूल्य के कार्यों को स्वीकृत किया जैसा कि **तालिका– 5.3** में वर्णित है।

तालिका 5.3: प्रभावित क्षेत्रों की पहचान में विलम्ब का विवरण

स. क्र.	जि.ख.सं.न्या. का नाम	प्रभावित क्षेत्रों के पहचान की तारीख	पहचान का वर्ष	बिलम्ब (माह में)	प्रभावित क्षेत्रों के पहचान से पूर्व स्वीकृत कार्यों का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	दुर्ग	दिसम्बर 2018	2018–19	34	54.18
2	मुंगेली	जुलाई 2018	2018–19	29	7.07
3	कवर्धा	जनवरी 2019	2018–19	35	21.04
4	रायपुर	सितम्बर 2019	2019–20	43	90.57
5	बलौदाबाजार	जुलाई 2018	2018–19	29	120.14
6	बिलासपुर	जुलाई 2017	2017–18	17	98.20
7	जांजगीर–चांपा	अगस्त 2019	2019–20	42	292.30
8	कांकेर	अप्रैल 2020	2020–21	50	116.96
9	अम्बिकापुर	सितम्बर 2019	2019–20	43	91.21
योग					**891.67**

*(स्रोतः जि.ख.सं.न्या. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित) * देरी की गणना जनवरी 2016 यानी राज्य शासन द्वारा 22 जिलों को खनन प्रभावित क्षेत्रों के रुप में घोषित करने की तारीख से की गई।*

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि प्रभावित क्षेत्रों की पहचान में विलम्ब के कारण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्रों की सूची तैयार करने में 17 से 50 माह तक का विलम्ब हुआ था। इसके अलावा, नमूना जांच किए गए जिलों में जि.ख.सं.न्या. के प्रचालन में आने की तिथि से 62 माह बीत जाने के बाद भी लेखापरीक्षा तिथि तक (मार्च 2021) प्रभावित व्यक्तियों/समुदायों की अद्यतन सूची जि.ख.सं.न्या. के द्वारा तैयार एवं संधारित नहीं की गयी थी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित व्यक्तियों/क्षेत्रों की पहचान करने सूची तैयार करने और बनाए रखने में विलंब के परिणामस्वरुप नियत लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण में और विलंब हुआ और जि.ख.सं.न्या. के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि एक जिले के भीतर प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान का कार्य संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना था। प्रभावित लोगों/स्थानीय समुदायों के पहचान का कार्य राज्य सरकार के स्तर पर लंबित नहीं है। शासन ने आगे कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और घोषणा एक सतत प्रक्रिया है। जो क्षेत्र पहचाने नहीं जा सके है उनकी पहचान अगले वित्तीय वर्ष में की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिले के भीतर प्रभावित लोगों/स्थानीय समुदायों की पहचान की प्रक्रिया अभी भी लंबित है और प्रभावित व्यक्तियों की सूची तैयार नहीं की गई थी।

अनुशंसा :

13. शासन को समयबद्ध तरीके से खनन प्रभावित व्यक्तियों/ समुदायों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए।

5.3.2 कार्यों को पूर्ण करने में विलंब

जि.ख.सं.न्या. द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार नौ चयनित जि.ख.सं.न्या. में वर्ष 2016–17 से 2020–21 की अवधि के दौरान कुल 14,581 कार्य किये गए जिसमें से 3,486 कार्य अपूर्ण थे जिस हेतु राशि ₹ 365.81 करोड़ की निधि जारी की गई थी।

जिलेवार वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान अपूर्ण कार्यों पर जारी राशि का विवरण **तालिका– 5.4** में वर्णित है

तलिका– 5.4: अधूरे कार्यों एवं जारी की गई राशि का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

जिले का नाम	2016–17		2017–18		2018–19		योग
	अपूर्ण कार्यों की संख्या	जारी राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	जारी राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	जारी राशि	
दुर्ग	00	0.00	00	0.00	44	3.93	3.93
मुंगेली	00	0.00	22	2.04	02	0.86	2.90
कवर्धा	01	0.10	04	0.35	02	0.10	0.55
रायपुर	03	0.27	25	6.75	03	0.24	7.26
बलौदाबाजार	94	8.31	87	5.65	125	6.37	20.33
बिलासपुर	209	38.19	309	20.83	122	39.63	98.65
जांजगीर–चांपा	30	17.20	86	41.80	57	11.89	70.89
कांकेर	00	0.00	03	4.03	20	2.64	6.67
अम्बिकापुर	87	3.10	70	4.49	31	0.54	8.13
योग	**424**	**67.17**	**606**	**85.94**	**406**	**66.20**	**219.31**

(स्रोतः जि.ख.सं.न्या. *द्वारा दी गई जानकारी से संकलित)*

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि नौ जिलों में 2016 से 2019 की अवधि के दौरान किए गए 1,436 कार्य अपूर्ण रहे। कार्यों के अपूर्ण होने के परिणामस्वरुप राशि ₹ 219.31 करोड़ की निधि दो से चार वर्षों के लिए अवरुद्ध रही। लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों की तरफ से शिथिलता, जैसे कार्य प्रारंभ होने में विलम्ब, ड्राइंग एवं डिजाइन में परिवर्तन, प्राक्कलन में संशोधन एवं राशि स्वीकृत होने की प्रतीक्षा एवं कार्य में धीमा प्रगति, आदि के कारण कार्य मुख्यतः पूर्णतः लंबित थे। संबंधित जि.ख.सं.न्या. ने भी कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित नहीं किया।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि विभिन्न कारणों से कार्यों में विलंब हुआ जैसे स्थल चयन, डिजाईन में परिवर्तन, एजेंसियों और ठेकेदारों के चयन में विलंब, ठेकेदारों द्वारा कार्यों के निष्पादन में विलंब, कोविड– 19 महामारी, आदि। कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी जिला प्रबंधन समिति की होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जि.ख.सं.न्या. द्वारा उचित निगरानी की कमी के कारण स्वीकृत कार्य दो से चार वर्षों के बीत जाने के बाद भी अधूरे रहे।

5.4 निगरानी और नियंत्रण

निगरानी एक प्रभावी प्रबंधन उपकरण है, जो कानून और निर्धारित प्रक्रियाओं का उचित अनुपालन सुनिश्चित करता है ताकि प्रबंधन को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

जि.ख.सं.न्या. नियमावली के नियम 17 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की स्थापना का प्रावधान है। समिति सभी जिलों के न्यासों के समग्र कामकाज के मार्गदर्शन हेतु व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करेगी और न्यासों के उद्देश्य के अनुसार सभी जिलों के कार्यों की निगरानी और देखरेख करेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति की अब तक केवल दो बैठकें हुई है (4 जनवरी 2016 एवं 29 नवंबर 2019)।

5.4.1 शासी परिषद/प्रबंधकारणी समिति की बैठकें

जि.ख.सं.न्या. नियम के नियम 13 (1) के अनुसार शासी परिषद जितनी बार आवश्यक हो, परंतु हर छहः महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी। इसके अलावा जि.ख.सं.न्या. नियम के नियम 16(1) के अनुसार प्रबंधकारणी समिति की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जावेगी।

उपरोक्त नियमों के तहत चयनित जि.ख.सं.न्या. में 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान आयोजित शासी परिषद/प्रबंधकारणी समिति की बैठकों की आवृत्ति **तालिका– 5.5** में वर्णित है।

तलिका– 5.5: शासी परिषद एवं प्रबंधकारणी समिति की बैठकों का विवरण

जिले का नाम	शासी परिषद का बैठक			प्रबंधकारणी समिति की बैठक		
	नियमानुसार आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या	वास्तव में आयोजित बैठकों की संख्या	कमियां (प्रतिशत)	नियमानुसार आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या	वास्तव में आयोजित बैठकों की संख्या	कमियां (प्रतिशत)
दुर्ग	12	05	58	24	09	63
मुगेंली	12	03	75	24	10	58
कर्वधा	12	07	42	24	09	63
रायपुर	12	11	08	24	20	17
बलौदाबाजार	12	06	50	24	06	75
बिलासपुर	12	05	58	24	02	92
जांजगीर–चांपा	12	04	67	24	06	75
कांकेर	12	06	50	24	03	88
अम्बिकापुर	12	04	67	24	10	58

(स्रोतः जि.ख.सं.न्या. द्वारा दी गई जानकारी से संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि शासी परिषद और प्रबंधकारणी समिति की बैठकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी थी।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि कोविड–19 महामारी के कारण पिछले वित्तीय वर्षों में नियमित रुप से बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी गयीं। नियमित रुप से बैठकें आयोजित करना संबंधित प्रबधकारणी समितियों की जिम्मेदारी है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोविड–19 महामारी की अवधि से पहले भी शासी परिषद और प्रबंधकारणी समिति की बैठक नियमित रुप से आयोजित नहीं की गई थी।

5.4.2 मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार करना

जि.ख.सं.न्या. नियम के नियम 15(3) के अनुसार न्यास की गतिविधियों के लिए पंचवर्षीय मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार किया जाएगा। जि.ख.सं.न्या. अधिसूचना (अगस्त 2019) के अनुसार जिन जिलों में वार्षिक प्राप्ति ₹ 25 करोड़ या उससे अधिक है, प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों की पहचान और विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए

न्यास के सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से सर्वेक्षण और सामाजिक अंकेक्षण किया जाना चाहिए। मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज को शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। आगामी वर्ष के लिए वार्षिक योजना प्रबंधकारणी समिति द्वारा तैयार की जाएगी और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी नौ चयनित जि.ख.सं.न्या. में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार न्यासों की गतिविधियों के लिए आज तक (मार्च 2021) मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ चयनित जिलों में से पांच[8] में, जि.ख.सं.न्या. की वार्षिक प्राप्तियां ₹ 25 करोड़ से अधिक थी, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों की पहचान करने और जिले के लिए विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया था। जि.ख.सं.न्या. द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित क्षेत्र की समग्र आवश्यकता का आंकलन किए बिना ही कार्यों की स्वीकृति प्रदान की रही थी। परिणामस्वरूप, प्रभावित क्षेत्रों/लोगों/स्थानीय समुदायों का विकास योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जा सका। इसके अलावा, उपरोक्त अधिसूचना में प्रावधान के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण भी नहीं किया गया था।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि शासन द्वारा समय–समय पर नियमानुसार मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार करनी सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा निर्देश जारी करने के बाद भी किसी भी चयनित जि.ख.सं.न्या. ने मार्च 2021 तक मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए सर्वेक्षण नहीं किया था।

अनुशंसा :

14. ***खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के सुनियोजित ढंग से विकास सुनिश्चित करने के लिये शासन को सर्वे कराकर मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज के तैयारी की निगरानी एवं उसमें तेजी लानी चाहिए।***

5.4.3 बजट, वार्षिक योजना और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना

जि.ख.सं.न्या. नियम 11 के अनुसार वार्षिक योजना और बजट को तैयार कर वर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक महीने पहले शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। वार्षिक कार्य योजना में योजनाओं और परियोजनाओं की सूची उनके अस्थायी प्रावधानों के साथ निहित होती है। जि.ख.सं.न्या. नियम 25 में वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और शासी परिषद को प्रस्तुत करने का भी प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ में से सात[9] जि.ख.सं.न्या. में वर्ष 2015–16 से 2019–20 के लिए बजट और वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की गई थी और इसलिए शासी परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं की गयीं थी। बजट और वार्षिक योजनाओं को जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को संबंधित एजेंसियों/राज्य सरकार की वेबसाईट पर प्रकाशित करने के लिए अग्रेषित नहीं किया जा सका। बजट और वार्षिक योजना तैयार न करने/प्रस्तुत करने के परिणामस्वरुप जि.ख.सं.न्या. नियमों का अनुपालन नहीं हुआ था। वित्तीय अनुशासन अलावा, परियोजनाओं/योजनाओं/शुरु किए गए कार्यों को समय पर पूरा करना भी सुनिश्चित नहीं किया गया था।

---

[8] दुर्ग, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कांकेर एवं जाँजगीर–चाँपा

[9] दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जाँजगीर–चाँपा, कांकेर, अम्बिकापुर

इसके अलावा, चयनित जि.ख.सं.न्या. में 2015–16 से 2020–21 की अवधि के लिए वार्षिक गतिविधियों पर रिपोर्ट भी तैयार नहीं किया गया था और शासी परिषद के समक्ष नहीं रखा गया था। इसलिए संबंधित जि.ख.सं.न्या. की गतिविधियों की समीक्षा के लिए लिए रिपोर्ट जिला पंचायत और राज्य सरकार सहित हितधारकों के लिए उपलब्ध नहीं थी।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि जि.ख.सं.न्या. नियम के नियम 25(6) के अनुसार प्रबंधकारणी समिति वार्षिक योजना तैयार करेगी और बजट को शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। वार्षिक योजना एवं वार्षिक प्रतिवेदन समय पर तैयार कराना सुनिश्चित करना संबंधित जि.ख.सं.न्या. का उत्तरदायित्व है। इस सबंध में समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

तथ्य यह है कि चयनित जि.ख.सं.न्या., नियमों के अनुसार वार्षिक योजाना, वार्षिक बजट और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में विफल रहे।

5.4.4 तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना

जि.ख.सं.न्या. नियमावली के नियम 25 (7) के अनुसार जि.ख.सं.न्या., स्वीकृत योजनाओं और परियोजनाओं के भौतिक और वित्तीय रूप में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, तिमाही की समाप्ति के 45 दिन के भीतर तैयार करेगा और उसे जिला पंचायत और जिला प्रशासन को अग्रेषित करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित जि.ख.सं.न्या. में 2015–16 से 2020–21 की संपूर्ण अवधि के दौरान न्यास द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति को दर्शाते हुए त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार नहीं की जा रही थी। इसलिए रिपोर्ट को जिला पंचायत और जिला प्रशासन को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशन के लिए अग्रेषित नहीं किया जा सका जैसा कि उपरोक्त नियमों में प्रावधानित था। इस प्रकार, कार्यों की प्रगति की निगरानी में कमी थी और हितधारकों के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित नहीं की गई थी।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि जिलों से मासिक प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति, अनुमानित लागत एवं व्यय का विवरण मांगा गया था और उसे संकलित कर शासन को अग्रेषित किया गया था। इसके अलावा, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना संबधित जि.ख.सं.न्या. की जिम्मेदारी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चयनित जि.ख.सं.न्या. द्वारा नियमों के अनुसार त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी।

अनुशंसा :

15. शासन को परियोजनाओं/कार्यों आदि की पारदर्शिता और निगरानी के लिए बजट, वार्षिक योजना और वार्षिक और त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करने एवं संबंधित हितधारकों को प्रस्तुत करने के लिए जि.ख.सं.न्य. को निर्देश जारी करना चाहिए।

5.5 जि.ख.सं.न्या. वेबसाइट पर वांछित जानकारी होस्ट करना/अपलोड करना

जि.ख.सं.न्या. नियम 15(13) के अनुसार जि.ख.सं.न्या. एक वेबसाईट तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा जिस पर अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित जानकारी को होस्ट और अद्यतन रखेगा :

(क) न्यास/न्यास के निकाय (यदि कोई हो) की संरचना का विवरण;

(ख) खनन से प्रभावित क्षेत्र तथा लोगों की सूची;

(ग) पट्टाधारकों तथा अन्य से प्राप्त समस्त योगदानों का त्रैमासिक विवरण;

(घ) बैठकों का एजेंडा, कार्यवृत्त तथा न्यास के समस्त की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन;

(ड) वार्षिक योजना एवं बजट, कार्य आदेश, वार्षिक प्रतिवेदन

(च) प्रगतिरत कार्यों की ऑनलाईन स्थिति, समस्त परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति/प्रगति वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जिससे कार्य का विवरण, हितग्राहियों की जानकारी, अनुमानित लागत, क्रियान्वयन अभिकरण का नाम, कार्य के प्रारंभ एवं पूर्णता की संभावित तिथि, पिछले त्रैमासिक तक की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति आदि सम्मिलित है;

(छ) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत हितग्राहियों की सूची; और

(ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण

लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित जि.ख.सं.न्या. ने उपर्युक्त जानकारी को जि.ख.सं.न्या. वेबसाइटों पर अद्यतन/अपलोड नहीं किया था। परिणामस्वरुप उपर्युक्त जानकारी पब्लिक डोमेन से बाहर रहीं और विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि शासन द्वारा प्रत्येक जिले के लिए वेब पोर्टल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (रा.सू.वि.कें.) की सहायता से विकसित किया गया है, जिसमें कार्यों के प्रस्ताव, प्रबंधकारणी समिति और शासी परिषद की बैठकें, प्रशासकीय स्वीकृति, आदि जैसे विवरण, संबंधित जि.ख.सं.न्या. द्वारा अपलोड किए जाते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना परीक्षित जि.ख.सं.न्या. ने वेबसाईट में सभी आवश्यक विवरणों को होस्ट/अपलोड/अपडेट नहीं किया था।

य: कुमार

रायपुर
दिनांक: 21 जून 2023

(यशवंत कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 26 जून 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

(कंडिका 1.8 में संदर्भित)

मात्रा के अनुमान के लिए सलाहकार द्वारा अपनाई गई विधि

कट वॉल्यूम V_C आधार और 3डी इलाके के बीच की मात्रा है जब भूभाग आधार से अधिक होता है।

कट वॉल्यूम, $V_C = V_{C1}+V_{C2}+V_{C3}+----------+V_{CN}$

फिल वॉल्यूम V_F, आयतन को आधार और भू–भाग को दर्शाता है जब भू–भाग आधार से नीचे होता है।

फिल वॉल्यूम, $V_F = V_{F1}+V_{F2}+V_{F3}+----------+V_{FN}$

कुल आयतन इसके द्वारा दी गई है:

कुल आयतन, $V_T=V_C +V_F$

ड्रोन सर्वे के तहत अवैध उत्खनन दर्शाने वाले पट्टेदारवार विवरण

क्र. सं.	पट्टेदार का नाम	अवैध उत्खनन का भाग	त्रिआयामी भूभाग का क्षेत्र (वर्ग मीटर)	कट वॉल्यूम (घन मीटर)	फिल वॉल्यूम (घन मीटर)	कुल आयतन (वर्ग मीटर)
1.	**श्री रूपेन्द्र त्रिवारी**	अवैध उत्खनन -1	9374.52	543.61±30.41	- 29725.40 ± 184.81	-29181.79 ± 215.22
		अवैध उत्खनन -2	6456.37	18.29±2.28	-28586 ± 160.74	-28568.48 ± 163.02
		योग	**15830.89**			**57750.27**
2.	**एच एस अरोरा**	अवैध उत्खनन	13892.17	361.62±16	-76437.76 ± 359.61	-76076.14 ± 375.61
		योग	**13234.55**			**76076.14**
3.	**मणिलाल पटेल**	अवैध उत्खनन	11195.20	5417.75±73.37	-52166.45 ± 167.56	-46748.71 ± 240.92
		योग	**11195.20**			**46748.71**
4.	**कुम्हारी रेत खान**	क्षेत्र-1	3154.05	30.49±6.08	-1809.51 ± 96.83	-1779.02 ± 102.90
		क्षेत्र -2	2605.40	88.26±10.64	-1267.28 ± 73.46	-1179.02 ± 84.10
		योग	**5759.45**			**2958.04**
5.	**नया रायपुर मुरूम क्षेत्र**	क्षेत्र-1	26299.36	168.75±16.16	-71204.98 ± 970.37	-71036.23 ± 986.53
		क्षेत्र-2	2796.90	5.99±1.08	-4049.62 ± 105.94	-4043.63 ± 107.02
		क्षेत्र-3	9770.94	10.05±2.07	-24458.94 ± 364.52	-24448.89 ± 366.60
		योग	**38867.20**			**99528.78**

परिशिष्ट 2

(कंडिका 2.1.8 में संदर्भित)

अवैध खनन के विरूद्ध शास्ति का कम आरोपण दर्शाने वाला जिलावार विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिला का नाम	प्रकरणों की संख्या	नियमानुसार शास्ति का आरोपण/संग्रहण	वसूल की गयी शास्ति	शास्ति का कम आरोपण
1.	दुर्ग	50	72.50	38.27	34.23
2.	मुंगेली	35	20.54	11.67	8.87
3.	कवर्धा	92	332.87	95.28	237.59
4.	रायपुर	108	274.42	109.26	165.16
5.	बलौदाबाजार	42	17.89	14.00	3.89
6.	बिलासपुर	331	566.69	158.59	408.10
7.	जांजगीर–चांपा	57	30.68	18.39	12.29
8.	कांकेर	41	82.02	7.95	74.07
9.	अम्बिकापुर	29	71.56	10.90	60.66
10.	डीजीएम	7	13.88	6.63	7.25
कुल योग		**792**	**1483.05**	**470.94**	**1012.11**

परिशिष्ट 3

(कंडिका 2.1.8 में संदर्भित)

अवैध परिवहन के विरुद्ध शास्ति का कम आरोपण

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला का नाम	प्रकरणों की संख्या	नियमानुसार शास्ति का आरोपण/संग्रहण	वसूल की गयी शास्ति	शास्ति का कम आरोपण
1.	दुर्ग	48	6.71	4.95	1.76
2.	मुंगेली	138	16.68	11.81	4.87
3.	बलौदाबाजार	5	0.74	0.67	0.07
4.	बिलासपुर	1735	128.17	109.17	19.00
5.	जांजगीर–चांपा	6	0.92	0.37	0.55
6.	कांकेर	34	6.55	4.76	1.79
7.	अम्बिकापुर	778	72.39	61.93	10.46
कुल योग		**2744**	**232.16**	**193.66**	**38.50**

परिशिष्ट 4

(कंडिका 4.1.1 में संदर्भित)

पर्यावरण स्वीकृति (प.स्वी.) के विरुद्ध रेत के परिवहन का विवरण

स. क्र.	जिला का नाम	प्रकरणों की संख्या	प.स्वी. के अनुसार प्रति वर्ष खनन योग्य मात्रा (घन मीटर में)	कुल खनन योग्य मात्रा (घन मीटर में)	प.स्वी. के विरुद्ध पहले वर्ष में परिवहन की गई मात्रा (घन मीटर में)
1.	मुंगेली	3	69630	69630	2700
2.	बिलासपुर	12	536078	536078	105900
3.	जांजगीर–चांपा	24	1969225	3004225	446050
4.	बलौदाबाजार	17	110900	110900	219100
5.	रायपुर	9	672200	672200	124350
6.	कांकेर	10	702500	702500	139920
7.	अम्बिकापुर	4	209178	209178	33100
कुल योग		**79**	**4269711**	**5304711**	**1071120**

परिशिष्ट 5

(कंडिका 4.1.2 में संदर्भित)

मुरूम के हटाने की अनुज्ञा का विवरण

स.क्र.	जिला का नाम	प्रकरणों की संख्या	सामग्री का आयतन (घन मीटर में)
1.	दुर्ग	360	904896
2.	मुंगेली	37	435508
3.	कवर्धा	43	401450
4.	रायपुर	549	3037911
5.	बलौदाबाजार	21	359550
6.	बिलासपुर	114	2141200
7.	जांजगीर–चांपा	63	364891
8.	कांकेर	32	753675
9.	अम्बिकापुर	16	333800
कुल योग		**1235**	**8732881**

परिशिष्ट 6

(कंडिका 5.2 में संदर्भित)

न्यास निधि में उपलब्ध और जारी की गई राशि का वर्षवार विवरण

(₹ लाख में))

स. क्र.	जिला का नाम	वर्ष	कुल प्राप्त राशि	कार्यों के लिए स्वीकृत कुल राशि	जारी की गई कुल राशि	व्यय की गई राशि	शेष राशि
1.	**दुर्ग**	2015-16	322	0	0	0	322
		2016-17	2715	1403	1394	1241	153
		2017-18	2862	4015	2936	2454	482
		2018-19	3042	3199	2103	1418	685
		2019-20	3529	2665	2337	2214	123
		2020-21	4090	4898	3977	3469	508
		योग	**16560**	**16180**	**12747**	**10796**	**2273**
2.	**मुंगेली**	2015-16	0	0	0	0	0
		2016-17	3.39	27.43	27.43	22.6	4.83
		2017-18	117.01	679.37	679.37	370.98	308.39
		2018-19	840.62	376.8	376.8	338.38	38.42
		2019-20	144.63	333.77	333.77	229.41	104.36
		2020-21	1429.88	868.43	868.43	544.87	323.56
		योग	**2535.53**	**2285.8**	**2285.8**	**1506.24**	**779.56**
3.	**कवर्धा**	2015-16	141.17	0	0	0	0
		2016-17	766.27	821.31	877.57	NA	0
		2017-18	642.23	1282.89	389.90	NA	0
		2018-19	634.26	649.81	744.34	NA	0
		2019-20	408.81	393.44	383.66	NA	0
		2020-21	1210.5	361.95	423.58	NA	0
		योग	**3803.24**	**3509.40**	**2819.05**	**-**	**0**
4.	**रायपुर**	2015-16	0	0	0	0	0
		2016-17	1981.25	2309.96	2092.65	2092.65	0
		2017-18	3233.32	6143.72	5188.52	5188.52	0
		2018-19	2318.81	602.87	535.49	535.49	0
		2019-20	1440.13	272.58	270.37	270.37	0
		2020-21	3497.62	1440.42	1097.14	1097.14	0
		योग	**12471.13**	**10769.55**	**9184.17**	**9184.17**	**0**
5.	**बलौदाबाजार**	2015-16	0	0	0	0	0
		2016-17	5015.49	5563.80	4396.99	4381.55	15.44

		2017-18	6807.60	6450.05	5228.53	5220.01	8.52
		2018-19	5287.72	4662.90	3472.52	3466.90	5.62
		2019-20	7529.91	1001.40	415.95	414.37	1.58
		2020-21	5960.67	3363.73	2158.61	1997.55	161.06
		योग	**30600.89**	**21041.88**	**15672.60**	**15480.38**	**192.22**
6.	**बिलासपुर**	2015-16	1479.57	0	0	0	0
		2016-17	5174.38	9819.96	6650.99	6650.99	0
		2017-18	11946.02	6895.51	4731.98	4731.98	0
		2018-19	4457.83	8383.79	5956.79	5956.79	0
		2019-20	9950.61	737.50	548.86	548.86	0
		2020-21	7646.84	4241.19	2488.21	2488.21	0
		योग	**40655.25**	**30077.95**	**20376.83**	**20376.83**	**0**
7.	**जांजगीर–चांपा**	2015-16	1972	0	0	0	0
		2016-17	5750	4808.88	3779.69	3779.69	0
		2017-18	14490	17462.52	13398.41	13398.41	0
		2018-19	4757	6958	5761.14	5761.14	0
		2019-20	13618	7519.39	6137.69	6137.69	0
		2020-21	10130	15323.54	12147.08	12147.08	0
		योग	**50717**	**52072.33**	**41224.01**	**41224.01**	**0**
8.	**कांकेर**	2015-16	196.49	0	0	0	196.49
		2016-17	1770.44	1089.23	1006.58	1006.58	0
		2017-18	2771.16	3779.02	3457.14	3457.14	0
		2018-19	3653.24	1993.37	1666.43	1666.43	0
		2019-20	6126.86	4834.67	3881.02	3881.02	0
		2020-21	7272.40	7506.50	1902.30	1902.30	0
		योग	**21790.59**	**19202.79**	**11913.47**	**11913.47**	**196.49**
9.	**अम्बिकापुर**	2015-16	0	0	0	0	0
		2016-17	3142	2099.14	1789.27	1789.27	0
		2017-18	2560	5192.64	4744.06	4744.06	0
		2018-19	2439	1828.97	1775.42	1775.42	0
		2019-20	2485	1158.23	1024.07	1024.07	0
		2020-21	2124.42	1255.27	1066.61	1066.61	0
		योग	**12750.42**	**11534.25**	**10399.43**	**10399.43**	**0**

परिशिष्ट 7

(कंडिका 5.2.1 में संदर्भित)

बैंक खाते में स्वीप/फ्लेक्सी जमा/बहु विकल्प जमा सुविधा का लाभ न लेने के कारण ब्याज की हानि

(₹ लाख में))

स. क्र.	जिला का नाम	जिला खनिज संस्थान अंशदान निधि खाता	जिला खनिज संस्थान न्यास निधि खाता	योग
1	दुर्ग	3.30	66.48	69.78
2	मुंगेली	0.91	20.77	21.68
3	कवर्धा	13.60	1.12	14.72
4	रायपुर	17.15	24.54	41.69
5	बलौदाबाजार	93.25	331.27	424.52
6	बिलासपुर	56.44	611.55	667.99
7	जांजगीर–चांपा	88.30	904.84	993.14
8	कांकेर	86.77	67.15	153.92
9	अम्बिकापुर	42.91	56.62	99.53
कुल योग		**402.65**	**2084.34**	**2486.97**

(हानि की गणना 0.15 प्रतिशत से लेकर 2.25 प्रतिशत तक की ब्याज दर के अंतर पर की गयी है)

परिशिष्ट 8

(कंडिका 5.2.2 में संदर्भित)

शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए न्यास निधि से किया गया व्यय

(₹ करोड में)

स. क्र.	जिला का नाम	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	स्वीकृत कार्यों का मूल्य	जारी की गई राशि	अनुचित कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि
1.	दुर्ग	3699	161.80	127.47	07	2.21
2.	मुंगेली	251	22.86	22.86	09	0.96
3.	कवर्धा	261	35.09	28.19	12	1.66
4.	रायपुर	856	107.70	91.84	75	3.25
5.	बलौदाबाजार	3731	210.42	156.73	13	1.03
6.	बिलासपुर	1547	300.78	203.77	05	0.45
7.	जांजगीर–चांपा	2208	520.72	412.24	25	1.98
8.	कांकेर	1627	192.03	119.13	12	0.52
9.	अम्बिकापुर	1507	115.34	103.99	11	0.63
कुल योग		**15687**	**1666.74**	**1266.22**	**169**	**12.69**

परिशिष्ट 9

(कंडिका 5.2.3 में संदर्भित)

कार्यान्वयन एजेंसियों से अव्ययित निधियों की वसूली न होना

स. क्र.	जिला का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	जारी की गई राशि (₹ करोड़ में)	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	पूर्ण किये गये कार्य जिनके विरूद्ध वसूली शेष है				रद्द किये गये कार्य जिनके विरूद्ध वसूली शेष है			कुल शेष राशि (₹ लाख में)
					कार्यों की संख्या	जारी की गई राशि (₹ लाख में)	व्यय राशि (₹ लाख में)	शेष राशि (₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	जारी की गई राशि (₹ लाख में)	शेष राशि (₹ लाख में)	
1.	**दुर्ग**	3699	127.47	3195	6	208.65	202.82	5.83	90	499.45	499.45	505.28
2.	**कवर्धा**	261	28.19	187	15	138.63	126.08	12.55	2	3.13	3.13	15.68
3.	**बलौदाबाजार**	3731	156.73	2773	-	-	-	-	13	61.97	61.97	61.97
4.	**बिलासपुर**	1547	203.77	779	-	-	-	-	2	178.60	178.60	178.60
5.	**कांकेर**	1627	119.13	1061	14	493.38	464.56	28.82	5	9.42	9.42	38.24
कुल योग		**10865**	**635.29**	**7995**	**35**	**840.66**	**793.46**	**47.20**	**112**	**752.57**	**752.57**	**799.77**

परिशिष्ट 10

(कंडिका 5.3 में संदर्भित)

जि.ख.सं.न्या. द्वारा किए गए कार्यों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	जिला का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्यों का कुल मूल्य	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	रद्द किए गए कार्यों की कुल संख्या	किए गए कार्यों की कुल संख्या	पूर्ण किए गए कार्यों की कुल संख्या
1.	**दुर्ग**	2015-16	0	0	0	0	0
		2016-17	14.03	438	5	433	433
		2017-18	40.15	2067	123	1944	1944
		2018-19	31.99	407	79	328	284
		2019-20	26.65	173	4	169	169
		2020-21	48.98	614	21	593	365
		योग	**161.80**	**3699**	**232**	**3467**	**3195**
2.	**मुंगेली**	2015-16	0	0	0	0	0
		2016-17	0.27	8	1	7	7
		2017-18	6.79	79	21	58	36
		2018-19	3.77	33	2	31	29
		2019-20	3.34	40	3	37	18
		2020-21	8.69	91	2	89	5
		योग	**22.86**	**251**	**29**	**222**	**95**
3.	**कवर्धा**	2015-16	0	0	0	0	0
		2016-17	8.21	35	4	31	30
		2017-18	12.83	126	39	87	83
		2018-19	6.50	42	7	35	33
		2019-20	3.93	37	3	34	28
		2020-21	3.62	21	0	21	13
		योग	**35.09**	**261**	**53**	**208**	**187**
4.	**रायपुर**	2015-16	0	0	0	0	0
		2016-17	23.10	278	0	278	275
		2017-18	61.44	402	6	396	371
		2018-19	6.03	45	0	45	42
		2019-20	2.73	13	0	13	13
		2020-21	14.40	118	13	105	29
		योग	**107.70**	**856**	**19**	**837**	**730**
5.	**बलौदा बाजार**	2015-16	0	0	0	0	0
		2016-17	55.64	889	47	842	748
		2017-18	64.50	1249	101	1148	1061

		2018-19	46.63	972	212	760	635
		2019-20	10.01	104	19	85	56
		2020-21	33.64	517	9	508	273
		योग	**210.42**	**3731**	**388**	**3343**	**2773**
6.	**बिलासपुर**	2015-16	0	0	0	0	0
		2016-17	98.20	649	2	647	438
		2017-18	68.96	544	2	542	233
		2018-19	83.84	198	0	198	76
		2019-20	7.37	13	0	13	1
		2020-21	42.41	143	1	142	31
		योग	**300.78**	**1547**	**5**	**1542**	**779**
7.	**जंजगीर – चांपा**	2015-16	0	0	0	0	0
		2016-17	48.08	152	1	151	121
		2017-18	174.62	481	98	383	297
		2018-19	69.58	184	55	129	72
		2019-20	75.19	485	0	485	371
		2020-21	153.25	906	22	884	396
		योग	**520.72**	**2208**	**176**	**2032**	**1257**
8.	**कांकेर**	2015-16	**0**	0	0	0	0
		2016-17	10.89	206	0	206	206
		2017-18	37.79	322	2	320	317
		2018-19	19.93	237	8	229	209
		2019-20	48.35	241	16	225	106
		2020-21	75.07	621	2	619	223
		योग	**192.03**	**1627**	**28**	**1599**	**1061**
9.	**अम्बिकापुर**	2015-16	0	0	0	0	0
		2016-17	20.99	529	47	482	395
		2017-18	51.93	601	124	477	407
		2018-19	18.29	167	5	162	131
		2019-20	11.58	81	0	81	60
		2020-21	12.55	129	0	129	25
		योग	**115.34**	**1507**	**176**	**1331**	**1018**
कुल योग			**1666.74**	**15687**	**1106**	**14581**	**11095**

©
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in

Website-https://cag.gov.in/ag/Chhattisgarh/en